

सं.एफ.11(81)/2012-एचआरएमए

दिनांक : 22 जनवरी , 2013

कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013

विषय:- सीएमडी, हडको को शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन।

बोर्ड ने 5 जनवरी 2011 को आयोजित अपनी 477वीं बैठक (मद संख्या 477.11), 5 मार्च 2011 को आयोजित 479वीं बैठक (मद संख्या 479.5) और 5 दिसंबर 2012 को आयोजित 508वीं बैठक (मद संख्या 508.12) में सीएमडी, हडको की शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा की। बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएमडी, हडको की शक्तियों का समेकित संशोधित प्रत्यायोजन अनुबंध में दिया गया है।

2. हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित के अधीन है:-

i. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों, हडको के संगम ज्ञापन और अनुच्छेदों, भारत सरकार, सांविधिक प्राधिकरणों, एनएचबी, सीवीसी के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों/परिपत्रों और समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों, नियमों और विनियमों, बजट का अनुपालन करना।

ii. वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का अनुप्रयोग जैसे:-

क. प्रथम दृष्टया व्यय मौके की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए;

ख. निगम के धन से किए गए व्यय के संबंध में शक्तियों का प्रयोग उसी तत्परता से किया जाएगा जैसा कि एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में करता है;

ग. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यय को मंजूरी देने की शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि को लाभ नहीं पहुंचाए;

3. प्रत्यायोजन ऐसे अतिरिक्त नियंत्रणों/निर्देशों के अधीन होगा जो समय-समय पर सामान्यतः या विशेष रूप से प्रतिनिधि को दिए जाते हैं।

4. प्रतिनिधि अपने अधीन लिए गए निर्णयों के लिए उत्तरदायी होगा।

5. वित्तीय सहमति प्राप्त करने से पहले प्रतिनिधि द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।
6. प्रत्येक मामले में 25,000/- रुपये से अधिक के वित्तीय निहितार्थ वाले प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहमति तब भी ली जाएगी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।
7. सभी व्यय बजट प्रावधान (बीई/आरई) के अंतर्गत होने चाहिए।
8. हडको के सीएमडी को, बोर्ड द्वारा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को सीधे तौर पर सौंपी गई सभी शक्तियों से युक्त माना जाएगा।
9. इसके अलावा, बोर्ड ने सीएमडी को निगम की आवश्यकता और अपेक्षा के अनुसार, अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से किसी को भी, जैसा उचित समझा जाए, अपने पास निहित शक्तियों को उप-प्रत्यायोजित/पुनः-प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत किया है।
10. यह इस विषय पर सभी पिछले आदेशों का अधिक्रमण करता है।
11. हडको के विभिन्न अधिकारियों के लिए सीएमडी द्वारा मौजूदा उप-प्रत्यायोजन/पुनः-प्रत्यायोजन तब तक जारी रहेगा जब तक संशोधित उप-प्रत्यायोजन/पुनः-प्रत्यायोजन के आदेश जारी नहीं हो जाते। हालाँकि, जहाँ संशोधित प्रतिनियुक्ति में बोर्ड द्वारा उप-प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई है, जैसा कि इस कार्यालय आदेश के अनुबंध में दर्शाया गया है, वह इस आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

(पी.आर. श्रीवास्तव)
कार्यकारी निदेशक (एचआरएमए)

प्रतिलिपि:

1. डीजीएम (पी),सीएमडीओ
2. डीएफ के एसएम (एस)
3. सीवीओ के एसएम (एस)
4. सभी वरिष्ठ ई.डी.
5. सभी ईडीएस/आरसी/जीएम/सीएस
6. एजीएम (ओएल) - हिंदी अनुवाद के लिए
7. एएम (आईटी) - हडको इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु।
8. कार्यालय आदेश फ़ाइल

दिनांक 22-01-2013 के ओ.ओ. संख्या 1248/2013 का अनुबंध

अध्याय नं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
I.	बजट और योजनाएँ	1
II.	उधारी	2 - 6
III.	योजनाओं की मंजूरी [सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित प्रत्यायोजन के अनुमोदन के बाद अलग से अधिसूचित किया जाएगा]	
IV.	बैंकिंग और निवेश	7
V.	कार्य, निपटान व्यय और रख-रखाव	8 - 13
VI.	स्थापना और प्रशासन	14 - 23
VII.	सहयोग / संयुक्त उद्यम / एसपीवी	24
VIII.	विधिक	25 - 28
IX.	अनुसंधान और विकास	29
X.	परामर्श सेवाएं प्रदान करना/प्राप्त करना और परामर्शदाताओं की नियुक्ति	30
XI.	आकस्मिकता और विविध	31 - 33
XII.	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	34
XIII.	आपातकालीन शक्तियां	35

दिनांक 22-01-2013 के ओ.ओ. संख्या 1248/2013 का अनुबंध

अध्याय- 1 बजट एवं योजनाएँ

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
1.1	बजट - वार्षिक (अनुमोदन/संशोधन/संशोधन)	शून्य	बोर्ड के साथ
1.2	ऋण स्वीकृति के लक्ष्य (निर्धारण/संशोधन/संशोधन)	शून्य	बोर्ड के साथ
1.3	ऋण जारी करने के लक्ष्य (निर्धारण/संशोधन/संशोधन)	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	सहमति के साथ वित्त विभाग
1.4	विनियोजन	सीएमडी - समग्र बजट प्रावधान के भीतर	वित्त मंत्रालय की सहमति से
1. 5	पुनर्विनियोजन (i) कर्मचारियों को पारिश्रमिक या (ii) अचल संपत्तियों के लिए प्रशासनिक व्यय और अनुलोमतः को छोड़कर	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्त मंत्रालय की सहमति से
1.6	स्वीकृत बजटीय प्रावधानों से अधिक राशि	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्त मंत्रालय की सहमति से

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
2.1	दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण/ ऋण व्यवस्था, सावधि जमा पर ऋण, नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा, सार्वजनिक जमा, बांड/डिबेंचर (कर-मुक्त बांड सहित), वाणिज्यिक/संरचित पत्र, एफसीएनआर (बी) ऋण, पुनः वित्त पोषण सहायता, समकक्ष विदेशी मुद्रा में नामित बैंकों से उधार, बाहरी वाणिज्यिक उधार, बहुपक्षीय संस्थाओं/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों आदि से उधार, बशर्ते कि किसी भी समय बकाया उधारी 40,000/- करोड़ रुपये से अधिक न हो, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(डी) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित समग्र उधार सीमा है, और निम्न से संबंधित सभी निर्णय लेना: i. उधार लेना, रोलओवर, कन्वर्जन, ब्याज दरों का पुनः निर्धारण, बांड/डिबेंचर के संबंध में पुट/कॉल विकल्प का प्रयोग तथा बैंकों, वित्तीय संस्थानों, कॉर्पोरेट्स	हडको के संगम अनुच्छेदों और धारा 292(1) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा (2) के अनुसार, बोर्ड की एक उप-समिति जिसका नाम संसाधन समिति है, उसमें सीएमडी, डीएफ, डीसीपी सदस्य होते हैं तथा संसाधन विंग के प्रमुख संयोजक होते हैं। बैठक की कोरम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कोई भी दो सदस्य होंगे, न कि प्रॉक्सी द्वारा। संसाधन समिति की बैठक का कोरम पूरा न होने की स्थिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको (बोर्ड द्वारा 24.08.2012 को आयोजित 505वीं बैठक में अनुमोदित) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक उधार कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित संसाधन जुटाने के संबंध में विभिन्न निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत होंगे।	

	आदि से सावधि ऋणों का पूर्व भुगतान। ii. बैंकों, वित्तीय संस्थानों, कॉर्पोरेट्स आदि से जमाराशि अथवा ओवर ड्राफ्ट/नगद ऋण की सुविधा आदि के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण, ऋण व्यवस्था, ऋण । iii. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक उधार कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान अल्पावधि उधार की सीमा निर्धारित करना , जो कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपये की सीमा के भीतर होगी। iv. हडको की वेबसाइट पर निविदा अधिसूचना जारी करके बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए प्रक्रिया/तौर-तरीकों को अंतिम रूप देना, जिसमें ऋण जुटाने की संभावनाओं की तलाश करना भी शामिल है ।	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित समग्र उधार सीमा के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
--	---	--

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
	viii. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निधि जुटाने, बैंकों द्वारा हडको को दी जा रही ऋण सुविधा (समग्र आधार पर), बांड, सार्वजनिक जमा आदि के लिए आरबीआई और सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग प्राप्त करना, ताकि संसाधनों और उपकरणों (बांड, बैंकिंग क्षेत्र के फंड, सार्वजनिक जमा, अल्पकालिक ऋण उपकरण) की मात्रा तय की जा सके, जिसके लिए प्रारंभिक रेटिंग प्राप्त की जानी है, आदि। ix. सीमित निविदा प्रक्रिया के तहत रेटिंग एजेंसियों से प्राप्त बोलियों के मूल्यांकन के आधार पर रेटिंग एजेंसियों को असाइनमेंट प्रदान करना ।		

2.2	निम्नलिखित से संबंधित निर्णय लेना i. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अधिदेश जारी करना, रेटिंग / रेटिंग का तर्क / प्रेस विज्ञप्ति की स्वीकृति या अस्वीकृति, वार्षिक रेटिंग शुल्क का निर्धारण या वृद्धि, आदि। ii. प्रबन्धकों, आरएंडटी एजेंटों, ट्रस्टियों, बैंकों और पूर्व में एवं पश्चात जारी सेवाओं के लिए नियुक्त किसी अन्य संस्था की बातचीत और नियुक्ति (पूर्व की प्रथा के अनुसार उनके शुल्क के निर्धारण सहित) से संबंधित सभी निर्णय। iii. हडको बांड के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए प्रबन्धकों की नियुक्ति से संबंधित सभी निर्णय निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन होंगे: (क) सेबी के साथ ब्रोकर / श्रेणी I मर्चेन्ट बैंकर के रूप में पंजीकृत / आरबीआई के साथ प्राथमिक डीलर के रूप में पंजीकृत। (ख) हडको द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया। (ग) राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं और उपक्रमों को छोड़कर, लीग तालिका (सरकारी संगठन और डीएफआई) में प्राइम डाटाबेस के प्रथम 20 स्थान पर होना चाहिए।	सीएमडी और/या डीएफ - प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के भीतर समग्र शक्तियां।
-----	---	---

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
	(घ) भारत में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कोई अनुसूचित बैंक, वाणिज्यिक बैंक या विदेशी बैंक ।		
2.3	संसाधन समिति/सीएमडी द्वारा स्वीकृत शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष के संसाधन कार्यक्रम में शामिल एजेंसियों को भुगतान जारी करना।	निदेशक वित्त और/या वरिष्ठ ईडी (आरएम)/ईडी (आरएम) और/या संसाधन विंग के प्रमुख जो उप-जनरल के स्तर से नीचे न हों प्रबंधक (वित्त)।	
2.4	निवेशकों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी, लीड मैनेजर्स, कानूनी सलाहकारों, ट्रस्टियों, अरेंजर्स, डिपॉजिटरीज, आरएंडटी एजेंटों और/या संसाधन जुटाने और ऋण सेवा आदि में शामिल किन्हीं अन्य संबंधित एजेंसियों को वैधानिक भुगतान जारी करना	निदेशक वित्त और/या वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (आरएम)/ कार्यकारी निदेशक (आरएम) और/या संसाधन विंग के प्रमुख, जो उप महाप्रबंधक (वित्त) के स्तर से नीचे न हों ।	
2.5	वार्षिक उधार कार्यक्रम के लिए सभी दस्तावेजों, अनुबंधों आदि को निष्पादित करना तथा बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए स्वीकृत उधार से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करना।	निदेशक वित्त और/या वरिष्ठ ईडी(आरएम)/ईडी(आरएम) और/या संसाधन विंग के प्रमुख जो उप महाप्रबंधक (वित्त) के स्तर से नीचे न हों और/या हडको का कंपनी सचिव,	

2.6	डिबेन्चर/बॉड (कर योग्य और कर मुक्त, दीर्घावधिक अथवा अल्पावधिक ,सामान्य अथवा ढांचागत, जीरोकूपन बांड्स डीप डिस्काउंट बांड, आदि) और उससे संबंधित अन्य मामलों के लिए सेबी के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित प्रस्ताव दस्तावेज, सूचना जापन, ड्राफ्ट शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, ट्रेंच प्रॉस्पेक्टस या कोई अन्य दस्तावेज जारी करना।	वरिष्ठ ईडी (आरएम) या ईडी (आरएम) या संसाधन विंग का प्रमुख जो उप महाप्रबंधक (वित्त) के स्तर से नीचे न हो।	
2.7	हडको की ओर से हडको बांड के बांड प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करना तथा इन बांडों को जारी करने के लिए आवश्यक अन्य औपचारिकताओं को अंतिम रूप देना,जिसमें कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार हडको की सामान्य मुहर लगाना भी शामिल है।	कोई भी दो निदेशक और/या वरिष्ठ ईडी (आरएम) / ईडी (आरएम) / महाप्रबंधक या सीएमडी द्वारा नामित कोई प्राधिकृत अधिकारी जो उप महाप्रबंधक और सीएस के स्तर से नीचे न हो।	
2.8	हडको बांड के हस्तांतरण को मंजूरी देना। इस प्रकार अनुमोदित हस्तांतरण कोके हस्ताक्षर से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अंतर्गत व्यक्तिगत बांडधारकों के रजिस्टर में पंजीकृत किया जाएगा।	सीएमडी और/या डीएफ. वरिष्ठ ईडी (आरएम) / ईडी (आरएम) / सीएस/महाप्रबन्धक/ उप महाप्रबन्धक / सहायक महाप्रबन्धक प्रबंधक (वित्त)।	

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
2.9	पहले से जारी बांडों का समेकन या विभाजन की मांग करने वाले पंजीकृत बांडधारकों के अनुरोध को स्वीकार करना और उन्हें नए बांड स्ट्रिप्स जारी करना।	सीएमडी और/या डीएफ और/या वरिष्ठ ईडी (आरएम) / ईडी (आरएम) और/या संसाधन विंग के प्रमुख जो उप महाप्रबंधक के स्तर से नीचे न हों प्रबंधक (वित्त) और/या सीएस	
2.10	मृतक बांडधारक का नाम हटाने पर, संयुक्त धारक का नाम जोड़ने पर, पूर्व में जारी बांडों के विभाजन और समेकन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर कंपनी की ओर से हडको बांड के बांड प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करना तथा पुनर्बिक्री की स्थिति में इन बांडों को पुनः जारी करने के लिए आवश्यक अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना। प्राधिकारियों को अनुच्छेदों के अनुसार हडको की ओर से ऐसे निर्गमन या पुनर्निर्गम पर सामान्य मुहर लगाना चाहिए।	कोई भी दो निदेशक और/या वरिष्ठ ईडी (आरएम) / ईडी(आरएम)/ महाप्रबंधक या सीएमडी द्वारा नामित कोई प्राधिकृत अधिकारी जो उप महाप्रबंधक और सीएस के स्तर से नीचे न हो। सीएस	

2.11	संयुक्त बांडधारकों की मृत्यु हो जाने पर बांड स्क्रिप्स में संयुक्त बांडधारकों के नामों को हटाने और प्रतिस्थापित करने (कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन सहित) के लिए हडको बांड के बांडधारकों से अनुरोध को स्वीकार करना और उक्त हटाने/प्रतिस्थापन को मंजूरी देना। के हस्ताक्षर से पंजीकृत किया जाना है-	सीएमडी और/या डीएफ और/या वरिष्ठ ईडी (आरएम) / ईडी (आरएम) और/या संसाधन विंग के प्रमुख जो उप महाप्रबंधक (वित्त) और/या सीएस के स्तर से नीचे न हों वरिष्ठ ईडी(आरएम) / ईडी (आरएम) सीएस/महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक /सहायक महाप्रबंधक (वित्त)।	
2.12	आवंटन पत्र/बांड प्रमाण पत्र के खो जाने/गुम हो जाने के बदले में डुप्लीकेट बांड प्रमाणपत्र जारी करना।	सीएमडी	
2.13	बांडधारकों की ओर से प्राप्त अभौतिकीकरण / पुनःभौतिकीकरण संबंधी अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करना तथा इससे संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करना।	सीएस और/या वरिष्ठ ईडी (आरएम) / ईडी (आरएम) और/या संसाधन विंग के प्रमुख जो उप महाप्रबंधक (वित्त) के स्तर से नीचे न हों।	

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
4.1	हडको की ओर से बैंक खाते खोलना तथा समय-समय पर निगम के प्रधान कार्यालय, एचएसएमआई, यूआईएफ विंग, क्षेत्रीय/क्षेत्रीय/विकास कार्यालयों द्वारा बनाए गए चालू, बचत, एफडी, ऋण/ओवरड्राफ्ट खाते तथा अन्य खाते संचालित करने के लिए अधिकारियों को अधिकृत करना। बैंक खाते बंद करने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।	सीएमडी और/या डीएफ	

4.2	डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में सावधि जमा में अल्पकालिक अधिशेष का प्लेसमेंट / निवेश ।	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा धारा 292(1) एवं (2) के प्रावधानों के अनुसार तथा डीपीई के दिनांक 14-12-1994 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बोर्ड की एक उप-समिति को शक्तियां सौंपी जाएंगी, जिसका नाम फंड प्लेसमेंट समिति होगा, जिसमें सीएमडी सदस्य अध्यक्ष, डीएफ और डीसीपी सदस्य होंगे और इसमें संसाधन विंग के प्रमुख जो महाप्रबंधक (वित्त) से नीचे के स्तर के नहीं होंगे, संयोजक होंगे। बैठक का कोरम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कोई भी दो सदस्य होंगे, न कि परोक्ष द्वारा। निधि प्लेसमेंट समिति की बैठक का कोरम पूरा न होने पर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको को अल्पावधि अधिशेष निधियों के निवेश/प्लेसमेंट के संबंध में विभिन्न निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जाएगा। दिनांक 19-11-2004 को आयोजित बोर्ड की 371वीं बैठक द्वारा अनुमोदित 3000 करोड़ रुपये तक की समग्र सीमा के भीतर अल्पावधि अधिशेष निधि की प्लेसमेंट की पूर्ण शक्तियां ।
4.3	फ्लेक्सी डिपॉजिट में अल्पकालिक अधिशेष का निवेश।	डीएफ

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
5.1	आवासीय/गैर-आवासीय भवनों के लिए लघु निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करना । नोट: ए/ए की राशि के 10% तक की अतिरिक्त राशि सीएमडी द्वारा अधिकृत की जा सकती है।	सीएमडी - 450 लाख रुपये तक डीसीपी - 225 लाख रुपये तक वरिष्ठ ईडी / ईडी - 125 लाख रुपये तक जीएम / पीसी - 11 लाख रुपये तक	
5.2	आवासीय/गैर-आवासीय भवनों के लिए लघु निर्माण हेतु व्यय की स्वीकृति प्रदान करना। नोट: ई/एस की राशि का 10% तक अतिरिक्त भुगतान सीएमडी द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।	सीएमडी - 450 लाख रुपये तक डीसीपी - 225 लाख रुपये तक वरिष्ठ ईडी / ईडी - 125 लाख रुपये तक जीएम / पीसी - 11 लाख रुपये तक	वित्तीय सहमति से
5.3	क) कार्यों के लिए विस्तृत अनुमान हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना (ख) विस्तृत अनुमानों में संशोधन तथा विभिन्न उप-शीर्षों के बीच अनुमोदित अनुमानों का पुनः आबंटन। (ग) निविदा दस्तावेज का अनुमोदन, निविदा समिति का गठन आदि।	सीएमडी /डीसीपी/वरिष्ठ ईडी/ईडी- पूर्ण शक्तियां	वित्तीय सहमति से - वही - - वही -

	<u>नोट :</u> i) अनुमानों में आकस्मिकताओं के लिए निम्नानुसार प्रावधान रखा जाएगा:- (क) अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपये तक: 5%. (ख) 1 करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित लागत : 3% (ii)) ई/एस की राशि का 10% तक अधिक राशि सीएमडी द्वारा अधिकृत की जा सकती है।		
5.4	बातचीत के साथ या बिना बातचीत के न्यूनतम निविदा की स्वीकृति। <u>नोट:</u> बातचीत केवल असाधारण मामलों (सीमित आपूर्ति स्रोत के साथ स्वामित्व वाली वस्तुओं के मामले में या वस्तुओं के मामले में) में ही की जानी चाहिए)	सीएमडी-1000 लाख रुपये तक डीसीपी - 500 लाख रुपये तक वरिष्ठ ईडी / ईडी - 200 लाख रुपये तक जीएम / पीसी - 100 लाख रुपये तक	वित्तीय सहमति से

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
5.5	एकल प्रस्ताव की स्वीकृति तथा अनुमोदित कॉल टेंडरों के विरुद्ध कार्य प्रदान करना। <u>नोट:</u> बार-बार पुनः निविदा जारी करने से बेहतर प्रतिक्रिया मिलने की संभावना, लागत, समय, कार्य की तात्कालिकता, शामिल परियोजना की प्रकृति आदि को ध्यान में रखते हुए एकल प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए विस्तृत औचित्य दर्ज किया जाना चाहिए।	सीएमडी - 350 लाख रुपये तक डीसीपी - 200 लाख रुपये तक वरिष्ठ ईडी/ईडी - 125 लाख रुपये तक जीएम/पीसी - अपने स्वयं के अधिकार के तहत 30 लाख रुपये तक और ईडी/वरिष्ठ ईडी की पूर्व स्वीकृति के साथ 70 लाख रुपये तक।	• वित्तीय सहमति से। • प्रयोग की गयी शक्तियों के बारे में आगामी बैठक में बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए।
5.6	निविदा आमंत्रित किये बिना कार्य प्रदान करना। <u>नोट:</u> इस शक्ति का प्रयोग नीचे निर्दिष्ट दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में किया जाएगा: क) सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान। ख) जहां केवल एक ही स्रोत से खरीद संभव है। ग) जहां आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार के पास माल या सेवाओं के संबंध में विशेष अधिकार हैं और उचित विकल्प या प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है।	सीएमडी - 60 लाख रुपये तक	• वित्तीय सहमति से। प्रयोग की गयी शक्तियों के बारे में आगामी बैठक में बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए।

5.7	निविदा के निष्फल हो जाने के पश्चात प्रारम्भिक बातचीत द्वारा कार्य प्रदान करना अथवा अनुबंध की मंती के पश्चात शेष कार्य के निष्पादन के लिए बोली न लगाने वाली फर्म को कार्य प्रदान करना।	सीएमडी - 100 लाख रुपये तक डीसीपी - 50 लाख रुपये तक वरिष्ठ ईडी / ईडी - 10 लाख रुपये तक जीएम / पीसी - 4 लाख रुपये तक	वित्तीय सहमति से
5.8	अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों को मंजूरी प्रदान करना । <u>टिप्पणी:</u> i. ये शक्तियां प्रत्येक अनुबंध के संबंध में हैं। ii. इन शक्तियों का प्रयोग केवल तकनीकी कारणों से ही किया जाना चाहिए। iii. इन शक्तियों का प्रयोग प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाएगा	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां डीसीपी - पूर्ण शक्तियां वरिष्ठ ईडी / ईडी - पूर्ण अधिकार जीएम / पीसी - रु.13 लाख तक	वित्तीय सहमति से

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
5.9	समझौता मदों की मात्रा में विचलन के लिए मंजूरी प्रदान करना। <u>टिप्पणी:</u> i.विचलन का अर्थ है अनुबंध मदों की मात्रा में वृद्धि/कमी। ii.अनुबंधित मात्रा के +/- 10% तक के विचलन के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। iii.अनुबंध सीमा मात्रा के +/- 10% से अधिक विचलन वाली वस्तुओं के लिए कुल विचलन (प्रारंभिक +/- 10% अनुबंध मात्रा सहित) की मंजूरी की आवश्यकता होती है। iv.विचलन विवरण की राशि सभी व्यक्तिगत मदों की विचलित राशियों के निरपेक्ष मूल्य का योग होगी। <u>स्पष्टीकरण :</u> पीसी/आरसी के पास सामान्य वस्तुओं की मात्रा में विचलन, असामान्य रूप से कम दर वाली वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि और किसी भी सीमा तक असामान्य रूप से उच्च	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां डीसीपी - पूर्ण शक्तियां वरिष्ठ ईडी / ईडी - पूर्ण शक्तियां पीसी / आरसी - 2.5 लाख रुपये तक	वित्तीय सहमति से

	रेटेड वस्तुओं की मात्रा में कमी को मंजूरी देने की पूरी शक्ति होगी ।		
5.10	क. समय विस्तार की अनुमति तथा माइलस्टोन का पुनर्निर्धारण। ख. क्षतिपूर्ति के साथ (यदि अनुबंध में कोई शक्ति निर्दिष्ट नहीं है)	पीसी / आरसी - पूर्ण शक्तियां - वही -	वित्तीय सहमति से - वही -
5.11	निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय को बट्टे खाते में डालना	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां डीसीपी - 100 लाख रुपये तक वरिष्ठ ईडी/ईडी - अनुबंध मूल्य का 1%, अधिकतम सीमा 30,000/-रुपये के अधीन	वित्तीय सहमति से

		जीएम/पीसी - अनुबंध मूल्य का 1%, अधिकतम सीमा 7,500/- रुपये।	
5.12	निविदाओं के माध्यम से या डीजीएसएंडडी दर अनुबंधों के माध्यम से खुले बाजार से सामग्री की खरीद।	सीएमडी - प्रत्येक मामले में 20 लाख रुपये तक की पूर्ण शक्तियां डीसीपी / वरिष्ठ ईडी / ईडी - प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये तक जीएम/पीसी - प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये तक।	वित्तीय सहमति से

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
5.13	सामग्री, डिजाइन की जांच, मृदा जांच और इसी तरह के अन्य कार्य के परीक्षण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशालाओं, सरकार के स्वायत्त निकायों और सरकारी इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थानों को कार्य सौंपना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्तीय सहमति के साथ
5.14	साइट/भूमि को साफ़ करने के लिए पुराने/जीर्ण-शीर्ण भवन/ संरचना की	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्तीय सहमति से

	बिक्री/निपटान हेतु उच्चतम निविदा बोली स्वीकार करना ।		
5.15	क. स्टॉक के मूल्यहास के कारण हानि । ख. घाटे को बट्टे खाते में डालना: i. व्यक्तियों की चोरी/लापरवाही के कारण दुकानों पर ii. दुकानों पर चोरी और/या व्यक्तियों की लापरवाही के कारण नहीं। iii. अनुपयोगी सामानों की आय को बट्टे खाते में डालना जिनका पिछला मूल्य वसूल हो चुका है।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां सीएमडी - 50,000/ रुपये तक सीएमडी - 50,000/- रुपये तक सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्तीय सहमति से
5.16	क. वाहनों के स्पेयर पार्ट्स सहित अन्य सामान को, जो घाटे में शामिल नहीं हैं, अधिशेष या अनुपयोगी घोषित करने के आदेश जारी करना, यदि वस्तु का मूल क्रय मूल्य ज्ञात न हो तो उसका अनुमान लगाया जाएगा। ख. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुपयोगी घोषित किए गए सामान के निपटान का आदेश जारी करना (सीएमडी द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के अधीन)।	सीएमडी - 5 लाख रुपये तक	वित्तीय सहमति से

		सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
5.17	कार्य/परियोजना के लिए वाहनों की खरीद/किराए पर लेना	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्तीय सहमति से
5.18	मॉडल, डमी, पैनल, प्रदर्शन, पेंटिंग आदि की तैयारी पर व्यय।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां वरिष्ठ ईडी / ईडी - रु.1 लाख तक जीएम / पीसी - रु.50,000/- तक	वित्तीय सहमति से
5.19	सार्वजनिक भवनों का शिलान्यास और उद्घाटन से संबंधित समारोहों से संबंधित व्यय की मंजूरी देना ।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां डीसीपी - 10,000/- रुपये तक वरिष्ठ ईडी/ईडी - रु. 2,500/- तक	वित्तीय सहमति से

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
5.20	साइट/परियोजना निगरानी कर्मचारियों, लेखा एवं प्रशासनिक कर्मचारियों तथा अन्य संबंधित सेवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर आवास किराये पर लेना जिसमें रखरखाव, सुरक्षा आदि, वैधानिक भुगतान आदि के लिए सेवा अनुबंधों की स्वीकृति /संचालन शामिल है।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्तीय सहमति से
5.21	परियोजना के लिए ठेकेदारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के पैनल/शॉर्ट लिस्टिंग को मंजूरी देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्तीय सहमति से
5.22	नियुक्ति/अवार्ड एवं समझौते की शर्तों को मंजूरी देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्त एवं कानून मंत्रालय के परामर्श से
5.23	मध्यस्थ की नियुक्ति	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
5.24	मध्यस्थ की स्वीकृति /चुनौती ।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्त एवं कानून मंत्रालय के परामर्श से
5.25	ठेकेदारों/परामर्शदाताओं/आपूर्तिकर्ताओं/डीलरों / वकील / सीए और मध्यस्थ की शुल्क आदि, जिसमें वैधानिक भुगतान शामिल है, के बिलों का अनुमोदन।	पीसी / आरसी - पूर्ण शक्तियां	वित्तीय सहमति से।

5.26	निम्न के लिए अनुमोदन प्रदान करना i. सार्वजनिक विज्ञापन/या हडको वेबसाइट पर अपलोड करके / या खुले विज्ञापन में बोली प्रक्रिया में भाग लेकर या सरकारी एजेंसियों / पीएसयू आदि को पत्र लिखकर प्रत्यक्ष विपणन करके या इसके विपरीत, केंद्रीय / राज्य अर्ध सरकारी एजेंसियों या किसी पीएसयू या सरकार की किसी एजेंसी को कार्यालय स्थान / खाली आवासीय फ्लैटों को किराए पर देना, जो सीपीडब्ल्यूडी / पीडब्ल्यूडी दरों से कम नहीं होगा। ii. हडको की आवश्यकता के अनुसार मामला दर मामला आधार कार्यालय स्थान किराये पर लेना	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्त एवं कानून मंत्रालय के परामर्श से
5.27	बिक्री, दीर्घकालिक पट्टा, अल्पकालिक पट्टा/किराया/लाइसेंस के लिए बोली दस्तावेज का अनुमोदन, बोली समिति का गठन।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्त एवं कानून मंत्रालय के परामर्श से
5.28	बाजार मूल्यांकन के आधार पर किराए/लाइसेंस शुल्क/अल्पकालिक पट्टे पर विचार (न्यूनतम किराया) का निर्धारण	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्तीय सहमति से

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
5.29	भुगतान में देरी को माफ करना और नुकसान को बट्टे खाते में डालना बिक्री प्रतिफल/ किराया/ लाइसेंसी शुल्क/ पट्टा राशि	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्तीय सहमति से
5.30	हडको के स्वामित्व/किराए की संपत्तियों में मरम्मत एवं रखरखाव	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्तीय सहमति से
5.31	किराये पर लिए गए कार्यालय आवास की मरम्मत और नवीनीकरण । किराये पर लिए गए आवासीय परिसर के मामले में, यदि हडको द्वारा भवन के मालिक के साथ निष्पादित अनुबंध में ऐसा प्रावधान मौजूद हो।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	

नोट: वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक/कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक, पीसी और आरसी के सम्मुख दर्शाई गई शक्तियों का प्रयोग मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

अध्याय- 6

स्थापना और प्रशासन

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
6.1	दिनांक 16-08-2010 के आदेश संख्या सीएमडीओ/एचआर/02/2010 द्वारा अधिसूचित तथा तत्पश्चात समय-समय पर संशोधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों तथा पुनर्गठन योजना के अनुसार नियुक्तियां/पदोन्नतियां करना।	सीएमडी - उप महाप्रबंधक स्तर तक नियुक्ति/पदोन्नति के लिए पूर्ण शक्ति। महाप्रबंधक (ई-7 स्तर) और उससे ऊपर के लिए, बोर्ड के अनुमोदन से।	सभी नियुक्तियाँ विधिवत् गठित डीपीसी / चयन समिति की सिफारिशों के अधीन होगी।
6.2	एक वर्ष से अधिक समय के लिए विधिवत् गठित चयन समिति द्वारा तैयार पैनल को पुनः मान्य करना।		आर एंड पी नियम 2011 के अनुसार, पैनल को पुनः मान्य करने के लिए बोर्ड सक्षम प्राधिकारी है। अतएव, कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।
6.3	आर एंड पी के नियमानुसार नियुक्ति/पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन करना।	सीएमडी - आर एंड पी नियमों के अनुसार।	
6.4	परीक्षण / साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के आवेदनों की जांच के	सीएमडी - आर एंड पी नियमों के अनुसार	

	लिए आर एंड पी नियमों के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करना।		
6.5	प्रथम नियुक्ति पर वेतन निर्धारित करना	सीएमडी - आरएंडपी नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियां	चयन समिति की सिफारिश पर (तीन वेतन वृद्धि से अधिक नहीं)
6.6	सीधी भर्ती/आमेलन के आधार पर शामिल होने वाले सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के कर्मचारियों को वेतन संरक्षण की अनुमति देना। आधार,	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	भारत सरकार के नियमों/डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार
6.7	पदोन्नति / पुष्टि पर वेतन निर्धारित करने के लिए ।	सीएमडी - नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियां	वित्त मंत्रालय की सहमति से
6.8	परिवीक्षा अवधि बढ़ाने के लिए	सीएमडी - आरएंडपी नियमों/सेवा विनियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियां	
6.9	इस्तीफा स्वीकार करना / नोटिस अवधि की छूट का अनुमोदन करना	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
6.10	कर्मचारियों को अन्य सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा के लिए अनुमति देना तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध अन्य सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेना।	सीएमडी - बोर्ड और डीपीई के दिशानिर्देशों द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण शक्तियां।	
6.11	नियमों के अनुसार छुट्टी प्रदान करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.12	बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित सरकारी योजनाओं के अनुसार विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अंतर्गत विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने को मंजूरी दी गई।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.13	नियमानुसार भत्ते प्रदान करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.14	प्रासंगिक नियमों और शर्तों के अनुसार वेतन, भत्ते, निगम के शेयरों और अन्य प्रतिष्ठानों के दावे/भुगतान का आहरण और संवितरण।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.15	आपूर्तिकर्ता के बिलों किराया, बिजली, पानी, टेलीफोन, हाउसकीपिंग, अनुबंध/आदेश पर ठेकेदारों के बिल आदि सहित सभी दावों (कर्मचारियों को पारिश्रमिक के अलावा) को पारित करना ।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.16	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित व्यय के लिए सभी प्रकार की जमाराशियों और अग्रिमों का भुगतान करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	

6.17	प्रथम नियुक्ति या स्थानांतरण पर कार्यभार समय विस्तार प्रदान करने के लिए।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.18	हडको सीडीए नियम/सेवा विनियमन के अनुसार निगम के किसी भी कर्मचारी को निलंबित, बर्खास्त, बर्खास्त या अन्यथा दंडित करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.19	सीएमडी के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा दिए गए निर्वहन/बर्खास्तगी या अन्य दंड के संबंध में अपील / समीक्षा पर सुनवाई करना तथा निर्णय लेना, जिसे हडको सीडीए के नियम के अनुसार उसकी ओर से शक्तियां सौंपी गई हैं।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.20	हडको सीडीएआर नियमों के तहत रिपोर्ट/सूचना/अनुमति देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.21	निगम के कर्मचारियों को मानदेय/शुल्क/पुरस्कार प्राप्त करने की अनुमति देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
6.22	किसी भी कारण से कंपनी को अग्रिम राशि, वेतन और/या भत्ते का अधिक भुगतान या बकाया राशि की वसूली के लिए किश्तें तय करना तथा दावों के बकाये की जांच करना ।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.23	अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष वेतन एवं अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.24	कर्मचारियों के लिए कार्यालय समय निर्धारित करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	सेवा के अनुसार विनियम.
6.25	कर्मचारियों को स्थानांतरित करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	द्वारा अनुमोदित स्थानांतरण नीति दिशानिर्देशों के अनुसार तख्ता।
6.26	मुख्यालय से कार्यभार लेने और कार्य भार सौंपने की अनुमति प्रदान करना	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.27	भर्ती एवं पदोन्नति नियमों एवं इस विषय पर सरकारी अनुदेशों के अनुसार निर्धारित आयु में छूट देना	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.28	भारत में या कंपनी के भीतर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों, अधिवेशनों आदि में कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करना और सभी प्रयोजनों के लिए ऐसी अवधि की प्रतिनियुक्ति की गणना इयूटी के रूप में करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार विदेश में प्रशिक्षण के लिए मद संख्या 416.16]

6.29	यात्रा कार्यक्रम को मंजूरी देना	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां (सीएमडी स्वयं होंगे) देश के भीतर पर्यटन के संबंध में नियंत्रक अधिकारी)	
6.30	कर्मचारियों और अधिकारियों को वायुयान द्वारा अथवा उनकी पात्रता से उच्च श्रेणी में यात्रा करने के लिए अधिकृत करना वे हकदार हैं.	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.31	वेतन अग्रिम, यात्रा भत्ता अग्रिम और/या चिकित्सा अग्रिम उपचार, एलटीसी के लिए अग्रिम आदि स्वीकृत करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.32	कंपनी के यात्रा भत्ता नियमों के तहत स्वीकार्य अवधि से अधिक अवधि तक रुकने पर पूर्ण दरों पर दैनिक भत्ता स्वीकृत करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.33	सबसे छोटे या सबसे सस्ते किसी अन्य मार्ग से यात्रा की अनुमति देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.34	हवाई/रेल/बस/टिकट आदि के रद्दीकरण शुल्क को मंजूरी देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.35	नियमों के अनुसार टीए/डीए प्रदान करने से संबंधित सभी मामले	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
6.36	कर्मचारियों को मानदेय या पुरस्कार प्रदान करना	सीएमडी - <u>क. पुरस्कार</u> प्रत्येक मामले में 5000 रुपये तक की पूर्ण शक्तियां, एक वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये की वित्तीय सीमा। <u>ख. मानदेय</u> एक वित्तीय वर्ष में ला अधिकतम 4 लाख रुपये की सीमा के साथ प्रत्येक मामले में 5000 रुपये तक की पूर्ण शक्तियां,	वित्त और की सहमति से बजट प्रावधान के अधीन
6.37	गैर-आवर्ती प्रकृति के कर्मचारियों को अनुकम्पा आधार पर अनुग्रह राशि प्रदान करना	सीएमडी - प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये तक	वित्तीय सहमति से ।
6.38	खेलकूद, मनोरंजक गतिविधियों और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के लिए अनुदान स्वीकृत करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	बजट प्रावधान के अधीन वित्तीय सहमति से
6.39	निम्न का अनुमोदन करना- क. अस्पतालों / नर्सिंग होम / नेत्र संस्थानों / दंत चिकित्सा क्लीनिकों / पैथ लैब्स / रेडियोलॉजी आदि का पैनल बनाना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	

	ख. यात्रा व्यय और परामर्श शुल्क सहित अपवाद स्वरूप के मामलों में नियमों में छूट के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति		
6.40	कार्यालय आकस्मिकताओं पर व्यय स्वीकृत करना और वहन करना	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.41	कार्यालय उपकरणों और फर्नीचर, कारों और अन्य वाहनों पर पूंजीगत व्यय को मंजूरी देना और वहन करना	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.42	वाहनों के निपटान को मंजूरी देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.43	फर्नीचर, फिक्सचर, कार्यालय उपकरण, वाहन और अन्य संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.44	छुट्टी और अन्य रिक्तियों में अधिशासी व्यवस्था करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.45	कर्मचारी/प्रचालन स्टाफ अग्रिम/अग्रिम स्वीकृत करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्त मंत्रालय के परामर्श से
6.46	ओवरटाइम भत्ता स्वीकृत करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां मासिक वेतन का 1/2 तक (मद संख्या 477.17)	
6.47	नियम / दिशानिर्देशों के अनुसार परिवहन किराया शुल्क की प्रतिपूर्ति करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
6.48	सरकारी काम के संबंध में वाहनों को किराये पर लेने की मंजूरी देना	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.49	समारोहों के अवसर पर व्यय को मंजूरी देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.50	सरकारी बैठकों में मनोरंजन पर व्यय को मंजूरी देना ।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.51	दिशानिर्देशों के अनुसार हडको निवास कार्यालयों और कर्मचारियों के आवास सहित कार्यालय में मोबाइल फोन/इंटरनेट कनेक्शन/फैक्स सहित टेलीफोन को मंजूरी देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.52	टेलीफोन बिल, बिजली के बिल, पानी के बिल, आदि के भुगतान की मंजूरी देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.53	डाक शुल्क ,फ्रैंकिंग मशीन शुल्क/कूरियर सेवा शुल्क के भुगतान की स्वीकृति देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.54	निर्धारित नीति संबंधी नियमों के अनुसार पात्र कर्मचारियों के लिए वर्दी की खरीद को मंजूरी देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्त की सहमति से
6.55	हडको भवनों/संपत्तियों का रखरखाव/रखरखाव के लिए भुगतान की मंजूरी देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्त की सहमति के अध्यक्षीन
6.56	दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा किराये पर लेना या पट्टे पर लेना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.57	स्थानांतरण पर कंपनी के स्वामित्व वाले/पट्टे पर आवास और टेलीफोन सुविधा की अनुमति।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	अनुमोदित स्थानांतरण नीति के दिशानिर्देशों

			एचआरएफए नियमों के अनुसार
6.58	निम्न के लिए अनुमोदन प्रदान करना- i. सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से / या हडको वेबसाइट पर अपलोड करके / या खुले विज्ञापन में बोली प्रक्रिया में भाग लेकर या सरकारी एजेंसियों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को पत्र लिखकर प्रत्यक्ष विपणन करके या इसके विपरीत , केन्द्रीय / राज्य अर्ध सरकारी एजेंसियों या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकार की किसी एजेंसी को कार्यालय स्थान / खाली आवासीय फ्लैटों को किराए पर देना, जिसका किराया सीपीडब्ल्यूडी / पीडब्ल्यूडी दरों से कम नहीं होगा। ii. हडको की आवश्यकता के अनुसार मामला दर मामला आधार पर कार्यालय स्थान किराये पर लेना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
6.59	हडको कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/मुख्यालयों में स्थित हडको स्टाफ क्वार्टरों का किराये के आधार पर आवंटन तथा स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति पर इन्हें बनाए रखने की अनुमति देना जिसमें एचआरएफए नियमों के अनुसार वीआरएस त्यागपत्र/प्रतिनियुक्ति, सेवा से निष्कासन, समाप्ति, बर्खास्तगी आदि शामिल है।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	हडको स्टाफ क्वार्टर आवंटन नियमों के अनुसार।
6.60	आवश्यकता एवं अनिवार्यता के अनुसार समय - समय पर हडको के स्वामित्व वाले फ्लैटों में ट्रांजिट हाउस स्थापित करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.61	आवश्यकता के आधार पर किसी भी स्थान पर हडको ट्रांजिट आवास को आवासीय उपयोग के लिए पुनः परिवर्तित करने को मंजूरी देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.62	बीमा	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.63	पुस्तकों, पत्रिकाओं की खरीद, प्रिंट फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जर्नल, पत्रिकाएँ आदि।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.64	मुद्रण और खरीद लेखन सामग्री	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.65	सभी प्रकार के ईडीपी बिलों की मंजूरी प्रदान करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.66	सॉफ्टवेयर सेवाओं /	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	

	विकास सलाहकार की नियुक्ति और सॉफ्टवेयरों के एएमसी की अनुमति।		
6.67	मौजूदा शर्तों के अनुसार सेवा/एएमसी का विस्तार का अनुबंध तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.68	फिक्सचर/ फर्नीचर/कार्यालय उपकरण / स्टोर और अन्य परिसंपत्तियों को अधिशेष /अनुपयोगी घोषित करना और उनका आरक्षित मूल्य निर्धारित करना तथा उनके निपटान का तरीका निर्धारित करना ।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.69	एचबीए के सभी मामलों में मोचन/पुनर्हस्तांतरण विलेख का निष्पादन और संबंधित आश्वासन रजिस्ट्रार को विलेख की प्रस्तुति करना	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	उन मर्दों को छोड़कर जिनके लिए कंपनी की सामान्य मुहर की आवश्यकता होती है।.
6.70	कर्मचारियों, कंपनी परिसर, संयंत्र एवं अन्य मशीनरी और उपकरण जहां भी स्थित हों, की तत्काल सुरक्षा पर व्यय करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.71	वैधानिक मुआवजा,शुल्क आदि प्रदान करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
6.72	दावों और मांगों के लिए कंपनी को देय धन के लिए रसीदें, रिलीज और अन्य निस्तारण बनाना और कंपनी को देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.73	खारिज करना- I. चोरी के कारण नुकसान हुआ है, धोखाधड़ी और लापरवाही के कारण नहीं। II. परिहार्य व्यय, विलंब शुल्क, घाटशुल्क जांच का विषय है।	प्रत्येक मामले में 50,000/- लाख रुपये तक की पूर्ण शक्तियां । सीएमडी - प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये तक की पूर्ण शक्तियां।	
6.74	जहां कंपनी के कर्मचारियों की ओर से कोई लापरवाही शामिल न हो, वहां दावों का निपटान या समझौता करना	सीएमडी - प्रत्येक मामले में 5.1 लाख रुपये तक की पूर्ण शक्तियां।	
6.75	(i) भारत में आगे के अध्ययन के लिए अनुमति प्रदान करना (ii) आवेदनों को अग्रेषित करना / एनओसी जारी करना बाहरी रोजगार और पासपोर्ट प्राप्त करना आदि।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.76	आगे विदेश में अध्ययन / प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान करना	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.77	विशेषज्ञ, सलाहकार आदि को यात्रा भत्ता, शुल्क/मानदेय आदि।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.78	नियमों के अनुसार <u>यात्रा भत्ते</u> , एलटीसी और अन्य भत्ते की अग्रिम स्वीकृति	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.79	सेवा अनुबंधों के संबंध में निश्चित क्षतिपूर्ति को माफ करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	

			वित्त की सहमति से
6.80	किसी अधिकारी को नियंत्रण अधिकारी के पद पर नियुक्त करने की शक्ति	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.81	आधिकारिक उपहार.व्यय को मंजूरी देना	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां प्रत्येक मामले में 15,000/- रु.	
6.82	बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.83	नियमों के अनुसार छोटा परिवार मानदंड को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन की मंजूरी देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.84	राजभाषा (हिंदी) सीखने के लिए प्रोत्साहन की मंजूरी	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.85	हिंदी संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत भुगतान स्वीकृत करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.86	प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित अधिकारियों के संबंध में केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को शुल्क के भुगतान को मंजूरी देना	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
6.87	राजभाषा पखवाड़ा / हिंदी दिवस / सतर्कता जागरूकता सप्ताह से संबंधित व्यय/ भुगतान को मंजूरी देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.88	कंपनी द्वारा तकनीकी एवं व्यावसायिक निकायों, व्यापार संघों, वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों की सदस्यता प्राप्त करने/ नवीनीकृत करने को मंजूरी देना तथा कर्मचारियों को कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में नामित करना। नोट: बोर्ड को सूचित किया जाएगा।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.89	गैर-आवर्ती अनुदान स्वीकृत करना।	सीएमडी - सांस्कृतिक और धर्मार्थ स्थानीय संगठनों को प्रति मामले 50,000/- रुपये तक के गैर-आवर्ती प्रकृति के अनुदान/दान को मंजूरी देने की पूर्ण शक्तियां , जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपये हैं।	वित्तीय सहमति से

6.90	कंपनी के कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों या व्यवसाय में उसके पूर्ववर्ती कर्मचारियों और पत्नियों,विधवाओं और परिवारों या ऐसे कर्मचारियों के आश्रित आदि के कल्याण के लिए प्रावधान करना ।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	बजट प्रावधान के अधीन वित्त की सहमति से
6.91	सेवा अनुबंधों से संबंधित न्यूनतम निविदाओं की स्वीकृति प्रदान करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	कारण दर्ज किया जाए।
6.92	सेवा अनुबंधों के संबंध में अनुमोदित निविदा आमंत्रण के विरुद्ध एकल निविदा (दूसरी बार निविदा के बाद) की स्वीकृति प्रदान करना (कारण दर्ज किये जायेंगे)।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.93	मौजूदा खरीद दिशा-निर्देशों के अनुसार सेवा अनुबंधों के संबंध में सबसे कम बोली लगाने वाले के साथ बातचीत करके कार्य सौंपना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	कारण दर्ज किये जाने चाहिए। केवल असाधारण मामलों में ही शक्ति का प्रयोग किया जाएगा (स्वामित्व वाली वस्तुओं के मामले में या आपूर्ति के सीमित स्रोतों वाली वस्तुओं के मामले में)।

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
6.94	सेवा अनुबंधों के संबंध में न्यूनतम दर के अलावा किसी अन्य निविदा को स्वीकार करके कार्य सौंपना, तथा न्यूनतम दर के अलावा किसी अन्य निविदाकर्ता के साथ बातचीत करके कार्य सौंपना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	कारण दर्ज किये जाएंगे।
6.95	सेवा अनुबंधों के संबंध में निविदाएं आमंत्रित किए बिना कार्य सौंपना (बोर्ड को बाद में सूचित किया जाएगा)। <u>टिप्पणी :</u> इस शक्ति का प्रयोग केवल दुर्लभ एवं असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाएगा, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है: क. सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान, जहां खरीद केवल एक ही स्रोत से संभव है, ख. जहां आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार के पास माल या सेवाओं के संबंध में अनन्य अधिकार हैं और कोई उचित विकल्प या प्रतिस्थापन मौजूद नहीं है।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	

6.96	सेवा अनुबंधों के संबंध में अनुबंध रद्द होने के बाद शेष कार्य के लिए निरस्त अनुबंध की दरों के अनुसार निष्पादन हेतु बोली न लगाने वाली फर्म के साथ या निविदा के निष्फल आमंत्रण के बाद बातचीत द्वारा कार्य प्रदान करना (कारण दर्ज किए जाएं)।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.97	सेवा अनुबंधों के संबंध में समय विस्तार और/या निश्चित क्षतिपूर्ति का अधिरोपण (कारण दर्ज किए जाएं)।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.98	सेवा अनुबंध के संबंध में खरीद/आपूर्ति आदेश में संशोधन करना.	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
6.99	समय-समय पर उत्पन्न होने वाले अस्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए नियमानुसार आकस्मिक श्रमिक/दैनिक वेतन वाले कर्मचारियों की नियुक्ति को मंजूरी देना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां 119 दिनों तक	

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
6.100	विशेषज्ञ/विशेषज्ञ की नियुक्ति / पेशेवरों / संस्थानों को कार्य / सलाह के लिए आमंत्रित करना और पारिश्रमिक देना।	सीएमडी - अधिकतम 6 माह तक पूर्ण शक्तियां।	सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के संबंध में परिलब्धियां/पारिश्रमिक डीओपीटी द्वारा समय - समय पर जारी दिशानिर्देशों के अधीन होंगे। सेवानिवृत्त पीएसयू कर्मचारियों के मामले में पारिश्रमिक अंतिम वेतन के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए । जिस वेतनमान में अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ है , यदि उसे संशोधित किया गया है, पारिश्रमिक नियुक्ति की तिथि को संबंधित संशोधित वेतनमान न्यूनतम मूल्य तथा महंगाई भत्ते के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए ।

अध्याय-7

सहयोग/संयुक्त उद्यम/एसपीवी

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
	संयुक्त उपक्रम		
7.1	हडको के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के उद्देश्य वर्ग के दायरे में परियोजनाओं के लिए सरकारी/सार्वजनिक और निजी/संयुक्त क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना करना।	बोर्ड द्वारा अनुमोदित संयुक्त उद्यम के दिशा-निर्देशों के अनुसार	
7.2	संयुक्त उद्यम की इक्विटी में भाग लेना।	बोर्ड द्वारा अनुमोदित संयुक्त उद्यम के दिशा-निर्देशों के अनुसार	
7.3	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
	सहयोग		
7.4	एचएसएमआई की प्रासंगिक गतिविधियों के लिए सहयोग और भागीदारी की शर्तों पर बातचीत करने की शक्ति	ईडीटी- पूर्ण शक्तियां (बोर्ड को रिपोर्ट की जाएंगी)	

अध्याय-8

विधिक

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
8.1	ऋण करारों पर हस्ताक्षर/निष्पादित करना, ऋण करारों में संशोधन, समझौता ज्ञापन या कोई अन्य समझौते, शेयरों, बांडों, डिबेंचर आदि के लिए सदस्यता समझौते, ट्रस्ट डीड, बंधक डीड, पुनर्हस्तांतरण डीड, सुधार के डीड आदि और हडको द्वारा उधार लेने वाली एजेंसियों को सहायता से संबंधित और जुड़े अन्य दस्तावेज और उचित प्राधिकारियों के समक्ष पंजीकरण के लिए दस्तावेज/फॉर्म प्रस्तुत करना/फाइल करना और न्यायसंगत बंधक के निर्माण के उद्देश्य के लिए शीर्षक और शीर्षक के दस्तावेजों को स्वीकार करना और साथ ही दृष्टिबंधक विलेख, प्रतिज्ञा विलेख, गारंटी और/या हडको की ओर से कोई भी अन्य प्रतिभूतियाँ स्वीकार/निष्पादित करना	सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी - पूर्ण शक्ति	विधि विंग के परामर्श से।
8.2	ऋण दस्तावेजों के मानक प्रारूप और उसमें किसी भी संशोधन/परिवर्तन को मंजूरी देना ।	सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी - पूर्ण शक्तियां	विधि विंग के परामर्श से।

8.3	हडको की ओर से उपकरण, हस्तांतरण विलेख, पट्टा विलेख, अनुबंध, समझौता ज्ञापन या कोई अन्य दस्तावेज या समझौता निष्पादित करना और प्रस्तुत करना उचित प्राधिकारियों के समक्ष पंजीकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना।	सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी - पूर्ण शक्तियां	विधि विंग के परामर्श से।
8.4	योजनाओं के वित्तपोषण, उधार लेने या हडको के हित से संबंधित किसी अन्य मामले या किसी अन्य महत्वपूर्ण मामले में कानूनी राय लेने के लिए वकील(यों) को नियुक्त करना और उनकी शुल्क, प्रभार और जेब से होने वाले खर्चों आदि के भुगतान सहित उन्हें अंतिम रूप देना/निपटाना।	सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी - पूर्ण शक्ति	विधि विंग के परामर्श से।
8.5	अन्य प्राधिकरण के समक्ष हडको द्वारा/उसके विरुद्ध दायर किसी भी मुकदमे, मध्यस्थता, दावे, आवेदन, शिकायत, रिट याचिका, समीक्षा, पुनरीक्षण, अपील या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही के संबंध में वकील/अन्य विशेषज्ञों को नियुक्त करना और उनकी शुल्क, प्रभार और जेब से किए गए खर्च आदि का भुगतान/निपटान करना और अंतिम रूप देना।	सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी - पूर्ण शक्ति	कानून/वित्त/संबंधित ईडी के परामर्श से।

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
8.6	आयकर, बिक्री कर, चुंगी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सरकार (राज्य या केंद्रीय) नगर पालिका या किसी स्थानीय निकाय द्वारा लगाए गए समान या अन्य करों से संबंधित मूल्यांकन, अपील, संदर्भ और अन्य संबंधित मामलों के संबंध में कंपनी की ओर से रिटर्न, फॉर्म, घोषणा, सत्यापन आदि पर हस्ताक्षर करना।	सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी - पूर्ण शक्ति	
8.7	ऋण का आंशिक/पूर्ण भुगतान करने के बाद आंशिक/पूर्ण सुरक्षा जारी करना ।	सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी - पूर्ण शक्तियां	संचालन , कानून वित्त और आंतरिक लेखा परीक्षा के परामर्श से पूर्ण सुरक्षा जारी करने के मामले में । संचालन ,कानून वित्त और आंतरिक लेखा परीक्षा के परामर्श से आंशिक सुरक्षा जारी करने के मामले में ।
8.8	i. इस संबंध में विद्यमान दिशानिर्देशों के प्रावधान के अंतर्गत ऋण के लिए सुरक्षा में परिवर्तन ।	सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी - पूर्ण शक्तियां	सीएमडी या उससे नीचे के स्तर से स्वीकृत योजनाओं के मामले में ,संचालन , कानून और वित्त के परामर्श से।
	ii) सरकारी क्षेत्र की योजनाओं के मामले में हड़को के दिशानिर्देशों के अंतर्गत सुरक्षा में परिवर्तन।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां (संदर्भ: ओओ संख्या 128 / 2012)	

8.9	(i) चूककर्ता उधार लेने वाली एजेंसियों और/या गारंटर को गारंटी/कानूनी नोटिस लागू करने के लिए रिकॉल नोटिस/पत्र जारी करने का निर्णय लेना और जारी करना।	सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी - पूर्ण शक्ति	
	(ii) प्रतिभूतियों के आमंत्रण/प्रवर्तन के लिए कदम उठाना।	सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी - पूर्ण शक्ति	
	(iii) (क) हडको निवास के तहत परियोजना ऋण और थोक ऋण के संबंध में एसएआरएफआईएसआई अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के तहत सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए वसूली मुकदमा दायर करने / कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लेना। (ख) हडको निवास के अंतर्गत एसएआरएफआईएसआई अधिनियम के तहत व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में वसूली मुकदमा दायर करने / सुरक्षा लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लेना।	सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी - पूर्ण शक्ति सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी - पूर्ण शक्ति	

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
	(ग) हडको की ओर से वाद, शिकायत, रिट याचिका, अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा, मध्यस्थता के लिए मामले को संदर्भित करना, कार्रवाई, संदर्भ, समझौता, दावा आदि दायर करने या बचाव करने का निर्णय लेना और किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, न्यायिक फोरम, श्रम न्यायालय, आयोग, कराधान/वैधानिक प्राधिकरण आदि में मिश्रित कानूनी कार्यवाही को त्यागना, जिसमें वित्तीय निहितार्थ को स्वीकार करने की शक्ति के साथ किसी भी न्यायालय / न्यायिक फोरम / श्रम न्यायालय / आयोग, / कराधान / वैधानिक प्राधिकरण आदि के आदेश के विरुद्ध अपील आदि दायर न करने का तत्संबंधी निर्णय लेने की शक्ति शामिल है।	सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी - पूर्ण शक्ति	
	(iv) मुकद्दमा दायर करने या बचाव करने आदि में लागत, न्यायालय शुल्क, आवेदन शुल्क या किसी अन्य देय शुल्क की मंजूरी और भुगतान के लिए।	सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी - पूर्ण शक्ति	

	हडको की ओर से वाद, शिकायत, आवेदन, दावा, रिट याचिका, मध्यस्थता, कार्रवाई, संदर्भ, समीक्षा, पुनरीक्षण, अपील आदि दायर करने या बचाव करने के उद्देश्य से आवश्यक शिकायत, लिखित बयान, आवेदन, याचिका, दावे, शिकायत, जवाबी हलफनामे, हलफनामे, आपत्ति, अपील/संशोधन/समीक्षा ज्ञापन या किसी अन्य दलील या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, उसका सत्यापन करना और हडको की ओर से या उसके खिलाफ किसी भी अदालत/न्यायाधिकरण/न्यायिक फोरम /श्रम न्यायालय /आयोग /कराधान /वैधानिक प्राधिकरण में दायर मामलों के संबंध में वकीलों के पक्ष में वकालतनामा/मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करना और उसे निष्पादित करना।	सीएमडी, डीएफ, डीसीपी सभी मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक से लेकर सहायक अधिकारी (ई1 स्तर) तक के अधिकारी।	
8.10	(i) एसएआरएफईएसआई अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) के संदर्भ में अधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए इस अधिनियम के तहत सुरक्षित लेनदार के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विभिन्न आरओ/जेडओ में क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में नामित अधिकारियों या हडको के किसी भी अनुशासन के किसी भी अधिकारी को नियुक्त करना जो ई -3 स्तर के अधिकारी के पद से नीचे न हो ।	सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी - पूर्ण शक्ति	

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
	ii. अनुमोदित मूल्यांकक की नियुक्ति करें तथा ऐसे अनुमोदित मूल्यांकक से उधारकर्ता/गारंटर की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करवाएं। एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा/प्रवर्तन एजेंट तथा/या नीलामीकर्ता की नियुक्ति करना। iii. मूल्यांकन, सुरक्षा व्यवस्था, बीमा, सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए विज्ञापन तथा उससे संबंधित और/या प्रासंगिक मामलों पर व्यय करना। iv. उधारकर्ता/गारंटर की प्रभारित/सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के बाद उनकी बिक्री/पट्टा/असाइनमेंट के लिए अनुबंध करना तथा उधारकर्ता के ऋण दायित्व को चुकाने के लिए उनसे प्राप्त राशि को विनियोजित करना। v. एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षा हित के प्रवर्तन के संबंध में कोई अन्य कार्य, विलेख या चीजें करना तथा आगे आवश्यक कार्रवाई करना जैसा कि आवश्यक और समीचीन समझा जा सकता है।	यथोक्त- - यथोक्त- -यथोक्त- -यथोक्त-	

अध्याय-9

अनुसंधान और विकास

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
9.1	क्षेत्रीय संस्थानों / विशेषज्ञों / विशेषज्ञों के माध्यम से शेल्टर्स और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन, पैनल चर्चा, तकनीकी चर्चा, समीक्षा करना।	सीएमडी - प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये तक	
9.2	अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों/तकनीकी सहायता के लिए हडको सहायता का अनुमोदन।	सीएमडी - व्यक्तिगत प्रस्ताव में 25 लाख रुपये तक और किसी वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रुपये तक।	

अध्याय- 10 परामर्शी सेवाएं प्रदान करना/सेवाएं लेना और परामर्शदाताओं की नियुक्ति करना

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
10.1	बोली प्रक्रिया में भाग लेने / परामर्श सेवाएं लेने , परामर्श शुल्क उद्धृत करने और विचारार्थ विषय का अनुमोदन देने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
10.2	परामर्शी सेवाओं के संबंध में समझौते, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
10.3	परामर्शदाताओं/उप-परामर्शदाताओं की नियुक्ति को खुली निविदा, सीमित निविदा या एकल निविदा के आधार पर (दूसरे प्रयास पर) तथा 1.00 (एक) करोड़ रुपये तक परामर्श शुल्क के आधार पर अनुमोदित करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	

10.4	बोली प्रक्रिया में भाग लेने / परामर्श सेवाएं लेने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करना, परामर्श शुल्क उद्धृत करना। [नोट: इस शक्ति का प्रयोग सीएमडी को सूचित करते हुए किया जाना है]	ईडी - 3 करोड़ रुपये तक की परामर्श शुल्क जीएम/ आरसी (परामर्श प्रभारी, डीजीएम से नीचे नहीं) - 2 करोड़ रुपये तक की परामर्श शुल्क	मुख्यालय में ईडीएफ/जीएमएफ तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठतम वित्त कार्मिकों की वित्तीय सहमति से । क्षेत्रीय कार्यालयों के वरिष्ठतम वित्त कार्मिकों की वित्तीय सहमति से।
10.5	विचारार्थ विषय का अनुमोदन	ईडी/जीएम/आरसी/परामर्श प्रभारी (डीजीएम स्तर से नीचे नहीं)	कानूनी और वित्त (मुख्यालय में ईडीएल और ईडीएफ/जीएमएफ तथा क्षेत्रीय कार्यालय में वरिष्ठतम कानून और वित्त कर्मियों द्वारा) के परामर्श से।
10.6	खुली निविदा या सीमित निविदा और परामर्श शुल्क के माध्यम से परामर्शदाताओं/उप-परामर्शदाताओं की नियुक्ति को मंजूरी देना।	ईडी - 25 लाख रुपये तक की परामर्श शुल्क जीएम/आरसी/परामर्श प्रभारी (डीजीएम स्तर से नीचे नहीं)- परामर्श शुल्क 10 लाख रुपये तक	मुख्यालय में ईडीएफ/जीएमएफ तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठतम वित्त कार्मिकों की वित्तीय सहमति से । क्षेत्रीय कार्यालयों के वरिष्ठतम वित्त

			कार्मिकों की वित्तीय सहमति से।
10.7	परामर्शी सेवाओं के संबंध में समझौते, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना।	ईडी/जीएम/आरसी/परामर्श प्रभारी (डीजीएम स्तर से नीचे नहीं)	कानूनी और वित्त (मुख्यालय में ईडीएल और ईडीएफ/जीएमएफ तथा क्षेत्रीय कार्यालय में वरिष्ठतम कानून और वित्त कर्मियों द्वारा) के परामर्श से।

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
11.1	निगम के मामलों/कारोबार/संचालन के संबंध में बाह्य विशेषज्ञों सहित अधिकारियों की समितियों का गठन करना तथा उन मामलों पर विचारार्थ विषय तय करना जो सीएमडी की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
11.2	प्रचार एवं विज्ञापन * क) वैधानिक विज्ञापन (वित्तीय सूचनाएं / भर्ती / सार्वजनिक सूचनाएं और निविदा सूचनाएं आदि) * दिशा-निर्देशों के अध्यक्षीन।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां - (i) वित्तीय सहमति के बिना 2 लाख रुपये तक, (ii) वित्तीय सहमति के साथ 2 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये तक	
	ख) वित्तीय और कॉर्पोरेट प्रचार	- वही -	
	ग) कॉर्पोरेट प्रचार के अलावा अन्य तदर्थ विज्ञापन (स्मृति चिन्ह, समाचार पत्रों के विशेष पूरक / पत्रिकाएँ)	सीएमडी - वित्तीय सहमति के बिना 2 लाख रुपये तक की पूर्ण शक्तियां और 2 लाख रुपये से अधिक एवं 5 लाख रुपये तक वित्तीय सहमति।	
	घ) प्रेस कॉन्फ्रेंस	सीएमडी - 5 लाख रुपये तक पूर्ण शक्तियां।	
	इ) फिल्मों और अन्य का निर्माण प्रचार सामग्री	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां (i) वित्तीय सहमति से 5 लाख रुपये तक	

11.3	प्रेस दौरे	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां वित्तीय सहमति के बिना 5 लाख रुपये तक और वित्तीय सहमति से 5 लाख रुपये से अधिक एवं 15 लाख रुपये तक।	
11.4	क) मॉडल पर व्यय को मंजूरी देना: अध्ययन / प्रस्तुति मॉडल, प्रदर्शनी, पेंटिंग, आदि।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां जीएम/प्रभारी डीडी विंग - निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के अधीन पूर्ण शक्तियां।	वित्त की सहमति से। 50,000/- रुपये से अधिक के प्रत्येक मामले में वित्त की सहमति से।
	ख) क्रय की गई सामग्री और प्रस्तुति रिपोर्ट का प्रेषण (कूरियर सेवा) - सामग्री की खरीद, फोटोग्राफी कार्य	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	वित्त की सहमति से।

क्रम. सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
	और रिपोर्ट का प्रेषण: कूरियर सेवा द्वारा।	जीएम/प्रभारी डीडी विंग - निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के अधीन पूर्ण शक्तियां।	50,000/- रुपये से अधिक के प्रत्येक मामले में वित्त की सहमति से।
	ग) प्रदर्शनी के उद्देश्य से सामग्री का प्रदर्शन और परिवहन	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां जीएम/प्रभारी डीडी विंग - निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के अधीन पूर्ण शक्तियां।	वित्त की सहमति से। 50,000/- रुपये से अधिक के प्रत्येक मामले में वित्त की सहमति से।
	घ) डिजाइन के संबंध में नियमानुसार दौरा अग्रिम सहित दौरे पर व्यय/परामर्श कार्य करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां जीएम/प्रभारी डीडी विंग - निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के अधीन पूर्ण शक्तियां।	वित्त की सहमति से। 20,000/- रुपये से अधिक के प्रत्येक मामले में वित्त की सहमति से। ।
	इ) विविध व्यय जैसे चित्रों का डिजिटलीकरण, दस्तावेजीकरण, मॉडलों की मरम्मत, सर्वेक्षण का आयोजन और परामर्श परियोजनाओं से संबंधित कोई अन्य व्यय।	जीएम/प्रभारी डीडी विंग - पूर्ण शक्तियां	5,000/- रुपये से अधिक के प्रत्येक मामले में वित्त की सहमति से तथा 10,000 /- रुपये से अधिक सीएमडी के अनुमोदन से ।

	च) डीडी विंग की परामर्श परियोजनाओं और प्रचार कार्यों के संबंध में ब्रोशर, रिपोर्ट का मुद्रण।	जीएम/प्रभारी डीडी विंग - पूर्ण शक्तियां	5,000/- रुपये से अधिक के प्रत्येक मामले में वित्त की सहमति से तथा 10,000 /- रुपये से अधिक सीएमडी के अनुमोदन से
11.5	विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान स्वीकृत करना	सीएमडी (दिनांक 28.02.1989 के स्थायी आदेश संख्या 54 के अनुसार)।	

क्रम. सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
11.6	प्रायोजन i. राष्ट्रीय प्रायोजन ii. अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजन	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां (i) वित्तीय सहमति के बिना 2 लाख रुपये तक, (ii) 2 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक वित्तीय सहमति से सीएमडी - पूर्ण अधिकार (i) वित्तीय सहमति के बिना 4 लाख रुपये तक, (ii) 4 लाख रुपये से अधिक और 6 लाख रुपये तक वित्तीय सहमति से	
	क्षेत्रीय कार्यालयों में सीए फर्मों की नियुक्ति		

11.7	उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और क्षेत्रीय कार्यालय में ईडी/आरसी की सिफारिश पर खातों/कराधान के प्रमाणीकरण से संबंधित मामलों पर क्षेत्रीय कार्यालयों में सीए फर्मों की नियुक्ति करना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां (संदर्भ : ओ.ओ. संख्या 381 / 2012)	प्रधान कार्यालय में वित्त की सहमति से
	ऋण लेखे		
11.8	नियमित बकाया राशि के भुगतान में देरी/अल्प वसूली/ओटीएस/डीआरपी राशि की वसूली में देरी के कारण बकाया ब्याज की बकाया राशि में छूट, सरकारी एजेंसियों के मामले में 50,000 रुपये तक और डीएमआरसी की सिफारिश के आधार पर सीएमडी को 1,00,000 रुपये तक का वित्तीय बोझ ।	सीएमडी -1,00,000/ रु. तक डीएफ -50,000/ रु.तक	डीएमआरसी की सिफारिश पर।
11.9	जहां योजनाएं बकाया हैं, वहां रसीद के मैनुअल विनियोजन को मंजूरी।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
11.10	हडको की पुस्तकों में 3 वर्ष से अधिक समय से पड़ी अतिरिक्त आय की बुकिंग और यदि हडको से मांग की जाए तो ऐसे मामलों में एजेंसी को लौटाना।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
11.11	उधार लेने वाली एजेंसी के खाते में पड़ी अतिरिक्त राशि को लौटाना ।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	
11.12	हडको द्वारा लगाए गए तथा उधारकर्ता द्वारा जमा किए गए शुल्कों की समीक्षा तथा उनको लौटाना / खाते में समायोजन करना।	सीएमडी - प्रत्येक मामले में 1.00 करोड़ रुपये तक की पूर्ण शक्तियां। स्थायी समिति की सिफारिश पर।	डी.एफ. की सिफारिश पर।

अध्याय 12 - कारपोरेट सामाजिक दायित्व

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
12.1	प्रत्येक परियोजना के लिए सीएसआर सहायता की स्वीकृति	सीएमडी - दो करोड़ रुपये तक सीएसआर समिति की सिफारिश पर।	दिशा निर्देशों/प्रक्रियाओं के अनुसार
12.2	सीएसआर सहायता जारी करना	सीएमडी - पूर्ण शक्ति	
12.3	स्वीकृति पत्र / समझौता का निष्पादन	सीएमडी - पूर्ण शक्ति	
12.4	परियोजना में संशोधन/ सुधार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सीएसआर समिति की सिफारिश पर
12.5	वैधता का विस्तार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सिफारिश पर सीएसआर समिति की
12.6	प्रभाव आकलन/ मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए बाह्य एजेंसियों की नियुक्ति	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार।

अध्याय 13

-

आपातकालीन शक्तियां

क्रम सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
13.1	आपातकालीन परिस्थितियों में उन वस्तुओं पर व्यय करना जिनके लिए अनुमोदित बजट में कोई निर्दिष्ट प्रावधान नहीं है या अनुमोदित बजट में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किए गए आबंटन से अधिक व्यय करना।	सीएमडी - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को शक्तियों के मौजूदा प्रत्यायोजन के बावजूद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसी भी आपात स्थिति में अपने विवेक के अनुसार कार्य करने के लिए अधिकृत हैं, बशर्ते कि इस प्रत्यायोजन के अनुसरण में की गई कोई भी कार्रवाई से अगली बैठक में तुरंत बोर्ड को सूचित किया जाएगा।	कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)

हडको भवन, आईएचसी, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

सं.एफ.11(81)/2012-एचआरएमए

दिनांक: 3 मई, 2013

कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 का संशोधन संख्या 1

विषय:- सीएमडी, हडको की शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन।

बोर्ड ने दिनांक 25 फरवरी 2013 को आयोजित अपनी 511वीं बैठक में मद सं. 511.12 के तहत सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए:-

“संकल्प लिया गया कि हडको के सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी को अपील दायर न करके किसी भी न्यायालय/ट्रिब्यूनल/न्यायिक फोरम आदि द्वारा पारित अंतिम आदेश को स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया जाता है, यदि समझौते के अनुसार बकाया राशि और न्यायालय/ट्रिब्यूनल/न्यायिक फोरम द्वारा आदेश की तिथि पर दिए गए अंतिम आदेश/डिक्री आदि के अनुसार निर्धारित बकाया राशि के बीच अंतर से उत्पन्न वित्तीय निहितार्थ निजी क्षेत्र की एजेंसियों के संबंध में 2 करोड़ रुपये और सरकारी एजेंसियों के संबंध में 5 करोड़ रुपये तक है, जैसा कि कार्यसूची की मद में उल्लिखित है।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि हडको के सीएमडी को हडको निवास के अंतर्गत व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में शक्तियों को उप-प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसा कि कार्यसूची की मद में उल्लिखित है।

इसके परिणामस्वरूप, कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 दिनांक 22 जनवरी 2013 के अध्याय VIII के क्रम संख्या 8.9(iii)(सी) द्वारा अधिसूचित सीएमडी, हडको का मौजूदा प्रत्यायोजन निम्नलिखित सीमा तक संशोधित किया गया है:-

क्रम. सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
8.9	(iii)(ग) अपील दायर न करके ,हडको की ओर से वाद, शिकायत, रिट याचिका, अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा दायर करने या बचाव करने, मध्यस्थता, कार्रवाई, संदर्भ, समझौता, दावा आदि के लिए का निर्णय लेने और किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, न्यायिक फोरम, श्रम न्यायालय, आयोग, कराधान / सांविधिक	सीएमडी और उनकी अनुपस्थिति में डीएफ/डीसीपी - पूर्ण शक्तियां।	

	प्राधिकरण आदि में संयुक्त कानूनी कार्यवाहियों को त्यागना जिसमें किसी भी न्यायालय / न्यायाधिकरण / न्यायिक फोरम आदि द्वारा पारित अंतिम आदेश को स्वीकार करने की शक्ति शामिल है, यदि समझौते के अनुसार बकाया राशि और न्यायालय / न्यायाधिकरण / न्यायिक फोरम द्वारा आदेश की तिथि पर दिए गए अंतिम आदेश / डिक्री आदि के अनुसार निर्धारित बकाया राशि के बीच अंतर से उत्पन्न वित्तीय निहितार्थ निजी क्षेत्र की एजेंसियों के संबंध में 2 करोड़ रुपये तक और सरकारी एजेंसियों के संबंध में 5 करोड़ रुपये तक है।	
--	---	--

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पी.आर. श्रीवास्तव)
कार्यकारी निदेशक
(एचआरएमए)

प्रतिलिपि:

1. सीएमडी के ईएस
2. डीसीपी के एजीएम (एस)
3. डीएफ के एजीएम (एस)
4. सीवीओ के एजीएम (एस)
5. सभी वरिष्ठ ईडी
6. सभी कार्यकारी निदेशक/आरसीएस/जीएम/सीएस
7. एजीएम (ओएल) - हिंदी अनुवाद के लिए
8. एएम (आईटी) - हडको इंटरनेट पर डालने के लिए।
9. कार्यालय आदेश फाइल।

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)

हडको भवन, आईएचसी, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

सं.एफ.11(81)/2012-एचआरएमए

दिनांक : 17 अक्टूबर , 2013

कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 का संशोधन संख्या 2

विषय:- सीएमडी, हडको को शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन।

बोर्ड ने 10 अक्टूबर, 2013 को आयोजित अपनी 522वीं बैठक में मद सं. 522.14 के तहत सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया:-

"संकल्प लिया गया कि हडको के सीएमडी को वित्त की सहमति से प्रत्येक मामले में 2 लाख रुपये तक की हानि को चोरी, धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण न होने पर भी बट्टे खाते में डालने की शक्तियां सौंपी गई हैं, जो कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 दिनांक 22 जनवरी 2013 की मद संख्या 6.73 के तहत सौंपी गई शक्तियों के अतिरिक्त है । "

इसके परिणामस्वरूप, कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 दिनांक 22 जनवरी 2013 के अध्याय VI के क्रम संख्या 6.73 द्वारा अधिसूचित सीएमडी, हडको का मौजूदा प्रत्यायोजन संशोधित हो गया है और यह निम्नानुसार होगा:-

क्रम. सं,	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
6.73	बट्टे खाते डालना i. चोरी के कारण हानि हुई, परंतु धोखाधड़ी और लापरवाही के कारण नहीं। ii. चोरी, धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण न हुई हानि iii. परिहार्य व्यय, विलंब शुल्क, घाटशुल्क जांच के अधीन।	सीएमडी - प्रत्येक मामले में 50,000/- रुपये तक की पूर्ण शक्तियां। सीएमडी - प्रत्येक मामले में 2 लाख रुपये तक की पूर्ण शक्तियां सीएमडी- प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये तक की पूर्ण शक्तियां।	वित्तीय सहमति से।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जे. प्रेम नवाज)
कार्यकारी निदेशक
(एचआरएमए)

प्रतिलिपि:

1. सीएमडी के डीजीएम (पी)
2. डीसीपी के एजीएम (एस)
3. डीएफ के एसएम (एस)
4. सीवीओ के एसएम (एस)
5. सभी वरिष्ठ ईडी
6. सभी ईडीएस/आरसी/जीएम/सीएस
7. एजीएम (ओएल) - हिंदी अनुवाद के लिए
8. एएम (आईटी) - हडकोइंट्रानेट पर डालने के लिए।
9. कार्यालय आदेश फ़ाइल

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)

7 ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

क्रमांक एफ.11(81)/2014-एचआरएमए

24 अप्रैल 2014

कार्यालय आदेश क्रमांक 1248/2013 का संशोधन क्रमांक 3

विषय: सीएमडी, हडको की शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन।

हडको बोर्ड ने 23 अप्रैल, 2013 को आयोजित अपनी 516वीं बैठक में मद सं. 10 के तहत हडको वार्षिक दिवस के अवसर पर सीएमडी को प्रेस विज्ञापन के लिए 60.00 लाख रुपये (केवल साठ लाख रुपये) तक खर्च करने के लिए अधिकृत किया है।

तत्पश्चात, दिनांक 22 जनवरी, 2013 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 सीएमडी की शक्तियों के प्रत्यायोजन, अध्याय-XI (आकस्मिकता एवं विविध) क्रम संख्या 11.2 को खंड 11.2 (च) जोड़कर निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
11.2 (च)	वार्षिक दिवस के अवसर पर कॉर्पोरेट विज्ञापन।	सीएमडी - 60.00 लाख रु. तक की पूर्ण शक्तियां।	वित्तीय सहमति से।

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. डीसीपी
3. डीएफ
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी
5. वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक
6. सभी कार्यकारी निदेशक/जीएम/आरसी
7. जीएम(ओएल) - हिंदी अनुवाद के लिए
8. जीएम(पीआर)
9. सीएस
10. डीएम (आईटी) - इंटरनेट पर डालने के लिए

**हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको).
7 ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003**

सं.एफ.11(81)/2014-एचआरएमए

23 मई, 2014

कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 का संशोधन संख्या 4

विषय: सीएमडी, हडको की शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन।

हडको बोर्ड ने 23 अप्रैल, 2013 को आयोजित अपनी 516वीं बैठक में मद संख्या 11 के तहत प्रचार के विभिन्न मदों पर व्यय के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की शक्तियों का प्रत्यायोजन मौजूदा 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) से बढ़ाकर 25.00 लाख रुपये (पच्चीस लाख रुपये मात्र) कर दिया है।

तत्पश्चात, कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 दिनांक 22 जनवरी, 2013 अध्याय XI (आकस्मिकता एवं विविध) एसआई संख्या 11.2 (इ) द्वारा जारी सीएमडी की शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
11.2 (इ)	फिल्मों एवं अन्य प्रचार सामग्री का निर्माण।	सीएमडी- 25.00 लाख रुपये तक की पूर्ण शक्तियां।	वित्तीय सहमति के साथ।

(जे. प्रेम नवाज़)

कार्यकारी निदेशक (एचआरएमए)

प्रतिलिपि:

1. सीएमडी
2. डीसीपी
3. डीएफ
4. सीवीओ
5. वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक

6. सभी ईडीएस/जीएम/आरसीएस
7. जी.एम.(ओ.एल.) - हिन्दी संस्करण के लिए
8. जीएम(पीआर)
9. सीएस
10. डीएम (आईटी) - इंटरनेट पर डालने के लिए

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको).
7 ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003

सं.एफ.11(81)/2014-एचआरएमए

25 अगस्त , 2014

कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 दिनांक 22.01.2013 का संशोधन संख्या 5

विषय: सीएमडी, हडको की शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन ।

1. हडको के निदेशक मंडल ने 30 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी 532वीं बैठक में मद सं. 532.24 के तहत सीएसआर पर सामान्य नीति को मंजूरी देते हुए (कंपनी अधिनियम, 2013 में सीएसआर पर प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सीएसआर के नियमों और संशोधित अनुसूची VII के साथ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों के तहत सीएमडी को शक्तियों के संशोधित प्रत्यायोजन को मंजूरी दी है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

क्रम सं.	शक्ति की प्रकृति	प्रत्यायोजन	टिप्पणी
1	प्रत्येक परियोजना के लिए सीएसआर सहायता की स्वीकृति	निदेशक मंडल	बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश पर
2	सीएसआर सहायता जारी करना	सीएमडी (पूर्ण शक्तियां)	
3	स्वीकृति पत्र/समझौते का निष्पादन	सीएमडी (पूर्ण शक्तियां)	
4	परियोजना में संशोधन/संशोधन	निदेशक मंडल	बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश पर
5	वैधता का विस्तार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश पर
6	प्रभाव आकलन/मूल्यांकन करने के लिए बाह्य एजेंसियों की नियुक्ति	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	विस्तार प्रक्रिया के अनुसार

2. तदनुसार, कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 दिनांक 22.1.2013, अध्याय संख्या XII कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा अधिसूचित सीएमडी, हडको को शक्तियों का प्रत्यायोजन, इस सीमा तक संशोधित किया गया है।
3. दिनांक 24.8.2012 के कार्यालय आदेश संख्या 693/2012 द्वारा संसूचित विषय पर उप-प्रत्यायोजन अपरिवर्तित है तथा निम्नलिखित है:-

क्रम सं.	शक्ति की प्रकृति	प्रत्यायोजन	टिप्पणी
	सीएसआर सहायता जारी करना (क) प्रथम एवं मध्यवर्ती किश्तें	क्षेत्रीय प्रमुख	कानूनी दस्तावेजीकरण/स्वीकृति शर्तों के अनुपालन के बाद क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठतम वित्त कार्मिक की सहमति से, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तथा परियोजना की संतोषजनक भौतिक प्रगति के बाद आगामी किश्तें जारी की जाएंगी।
	(ख) अंतिम किस्त (स्वीकृत सीएसआर सहायता का 15%-25%)	ईडी (प्रभारी सीएसआर सेल)	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की सिफारिश पर, क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठतम वित्त कार्मिक की वित्तीय सहमति से तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति और परियोजना की भौतिक प्रगति के बाद।
2	स्वीकृति पत्र/समझौते का निष्पादन	क्षेत्रीय कार्यालय में विधि प्रतिष्ठान के वरिष्ठतम कार्मिक को नियुक्त किया जाएगा। तथापि, समझौता ज्ञापन के निष्पादन के मामले में, मुख्य कार्यालय (विधि) में इसकी जांच के पश्चात कार्यकारी निदेशक (सीएसआर सेल के प्रभारी) को नियुक्त किया जाएगा।	

प्रतिलिपि:

1. सीएमडी
2. डीसीपी
3. डीएफ
4. सीवीओ
5. वरिष्ठ ईडी (ओ)/वरिष्ठ ईडी9पी)
6. सभी ईडीएस/जीएम/आरसी/सीएस
7. एजीएम (ओएल) - हिंदी अनुवाद के लिए
8. प्रबंधक (आईटी)-एचआरएमए विंग-सूचना एवं अभिलेखों के अद्यतन हेतु
9. डीएम (आईटी) - इंटरनेट पर डालने के लिए
10. कार्यालय आदेश फ़ाइल

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको).
7 ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003

क्रमांक एफ.11(81)/एचआरएमए/2015

09.03.2015

कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 का संशोधन संख्या 6 (कार्यालय आदेश संख्या 1606)

विषय: सीएसआर गतिविधियों के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन/उप-प्रत्यायोजन में संशोधन।

1. दिनांक 22.01.2013 के कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 का संशोधन संख्या 5, जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों के अंतर्गत सीएमडी को शक्तियों के संशोधित प्रत्यायोजन को दर्शाता है और कार्यालय आदेश संख्या 693/2012 दिनांक 24.08.2012 के अनुसार सूचित मौजूदा उप-प्रत्यायोजन, जो अपरिवर्तित रहा है, 25.08.2014 को जारी किया गया था।
2. हडको के निदेशक मंडल ने दिनांक 26.02.2015 को आयोजित अपनी 539वीं बैठक में मद संख्या 539.05 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों के अंतर्गत शक्तियों के संशोधित प्रत्यायोजन/उप प्रत्यायोजन पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

क्रम सं.	शक्ति की प्रकृति	प्रत्यायोजन	टिप्पणी
1	सीएसआर सहायता की स्वीकृति	निदेशक मंडल	बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश पर
2	सीएसआर सहायता जारी करना	सीएमडी (पूर्ण शक्तियां)	
3	स्वीकृति पत्र/समझौते का निष्पादन	सीएमडी (पूर्ण शक्तियां)	
4	परियोजना में संशोधन/संशोधन	निदेशक मंडल	बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश पर
5	वैधता का विस्तार	निदेशक मंडल	बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश पर

6	प्रभाव आकलन/मूल्यांकन करने के लिए बाह्य एजेंसियों की नियुक्ति	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	विस्तार प्रक्रिया के अनुसार
---	---	---------------------------	-----------------------------

3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों के अंतर्गत शक्तियों का संशोधित उप-प्रत्यायोजन निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	शक्ति की प्रकृति	प्रत्यायोजन	टिप्पणी
1	पहली किस्त (अनुमोदित नीति के अनुसार स्वीकृत सीएसआर सहायता के 25% से अधिक नहीं) एवं मध्यवर्ती किस्तें जारी करना ।	क्षेत्रीय प्रमुख (स्वीकृत प्रस्ताव के लिए 50.00 लाख रुपये से अधिक नहीं)। इसके अलावा, 50.00 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी करने का अनुमोदन सीएमडी द्वारा किया जाएगा।	कानूनी दस्तावेजीकरण/स्वीकृति शर्तों के अनुपालन के बाद क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठतम वित्त कार्मिक की सहमति से, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तथा परियोजना की संतोषजनक भौतिक प्रगति के बाद आगामी किस्तें जारी की जाएंगी।
2	स्वीकृति पत्र/समझौते का निष्पादन	क्षेत्रीय कार्यालय में विधि अनुशासन के सबसे वरिष्ठ कार्मिक को नियुक्त किया जाएगा। तथापि, समझौता ज्ञापन के निष्पादन के मामले में, मुख्य कार्यालय (विधि) में इसकी जांच के पश्चात कार्यकारी निदेशक (सीएसआर सेल के प्रभारी) को नियुक्त किया जाएगा।	कोई परिवर्तन नहीं

4. इसके अलावा, सीएसआर सहायता की अंतिम किस्त जारी करने के लिए कार्यकारी निदेशक, प्रभारी-सीएसआर की सिफारिश पर, ईडीएफ (ओ) की वित्तीय सहमति से और संबंधित आरसी की सिफारिश पर, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने और परियोजना की भौतिक प्रगति से संतुष्ट होने के बाद, सीएमडी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

5. इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2014-15 की पहले से स्वीकृत योजनाओं में जारी की गई धनराशि के उपयोग हेतु समय एवं वैधता में संशोधन/संशोधन/विस्तार/योजनाओं को बंद करने आदि के प्रस्तावों को निदेशक मंडल की 25 सितम्बर, 2014 को आयोजित 534वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, मद संख्या 534.10 के अनुसार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(जे. प्रेम नवाज़)

कार्यकारी निदेशक (एचआरएमए)

प्रतिलिपि:

1. सीएमडी
2. डीसीपी
3. डीएफ
4. सीवीओ
5. वरिष्ठ ईडी (ओ)/वरिष्ठ ईडी9पी)
6. सभी ईडीएस/जीएम/आरसी/सीएस
7. एजीएम (ओएल) - हिंदी संस्करण के लिए
8. प्रबंधक (आईटी)-एचआरएमए विंग-सूचना एवं अभिलेखों के अद्यतन हेतु
9. डीएम (आईटी) - इंटरनेट पर डालने के लिए
10. कार्यालय आदेश फ़ाइल

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)
7-ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

क्रमांक:एफ.11(81)/ 2014-एचआरएमए

दिनांक: 6 अप्रैल ,2015

कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 का संशोधन संख्या 7

विषय: दिनांक 22-01-2013 के कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 के अध्याय-X में मूल्यांकन को शामिल करने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन।

हडको बोर्ड ने 26 मार्च 2015 को आयोजित अपनी 542वीं बैठक में मद सं. 542.02 के तहत सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए हैं:-

“ यह संकल्प लिया गया है कि दिनांक 22 जनवरी 2013 के कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 के अध्याय-X के पैरा 10.6 में संशोधन का प्रस्ताव जैसा कि प्रस्तावित है और कार्यसूची दस्तावेजों में उल्लिखित है, संपत्तियों के मूल्यांकन और वित्तीय प्रत्यायोजन से संबंधित सभी गतिविधियों को शामिल करते हुए, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत है:-

क्रम सं.	शक्ति की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4
10.6	<u>परामर्शदाता/उप परामर्शदाता (मूल्यांकनकर्ताओं सहित) की नियुक्ति को खुली निविदा या सीमित निविदा और परामर्श शुल्क को अनुमोदित करना।</u>	ईडी - प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये तक का परामर्श शुल्क।	मुख्यालय में ईडीएफ/जीएम की वित्तीय सहमति से और क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठतम वित्त कार्मिक की वित्तीय सहमति से ।
		जीएम/आरसी/परामर्श शुल्क (डीजीएम स्तर से नीचे नहीं) -10 लाख रुपये वार्षिक तक परामर्श शुल्क।	क्षेत्रीय कार्यालयों के वरिष्ठतम वित्त कार्मिकों की वित्तीय सहमति से।

इसे एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

उपर्युक्त कार्यालय आदेश के क्रम संख्या 10.6 में पूर्व में दी गई शक्ति, उपरोक्त निर्णय की सीमा तक संशोधित मानी जाएगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जे. प्रेम नवाज)
कार्यकारी निदेशक (एचआरएमए)

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. डीसीपी
3. डीएफ
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी
5. वरिष्ठ ईडी(ओ)/वरिष्ठ ईडी(पी)
6. सभी कार्यकारी निदेशक/जीएम/आरसी
7. सीएस
8. एजीएम (ओएल) - हिंदी अनुवाद के लिए
9. डीएम (आईटी) - इंटरनेट पर डालने के लिए

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)
7 ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003

सं. एफ.11(81)/2014- एचआरएमए

12 जून, 2015

दिनांक 22.01.2013 के कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 का संशोधन संख्या 8

विषय: परामर्शदाताओं की नियुक्ति के संबंध में सीएमडी, हडको की शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन।

हडको के निदेशक मंडल ने 4 जून, 2015 को आयोजित अपनी 546वीं बैठक, मद संख्या 546.11 में, दिनांक 13 अप्रैल, 2015 को आयोजित 544वीं बैठक की मद संख्या 544.02 के अनुसार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी कार्यसूची में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में संगठन की आवश्यकता के अनुसार परामर्शदाताओं की भर्ती को मंजूरी दे दी है ।

स्थापना एवं प्रशासन से संबंधित दिनांक 22.01.2013 के कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 के अध्याय VI के अंतर्गत सीएमडी की शक्तियों के मौजूदा प्रत्यायोजन को निम्नलिखित प्रत्यायोजन जोड़कर संशोधित किया जाता है:

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
6.101	परामर्शदाताओं की नियुक्ति	सीएमडी - 2 वर्ष तक पूर्ण शक्तियां	पारिश्रमिक : पारिश्रमिक 20,000/- रुपए से 50,000/- रुपए के बीच होगा तथा क्रम संख्या 6.100 पर शक्तियों के प्रत्यायोजन के कॉलम 4 में निर्धारित मौजूदा मानदंडों के अनुसार अंतिम प्राप्त वेतन आदि के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। परामर्शदाताओं की नियुक्ति दिनांक 13 अप्रैल, 2015 को आयोजित 544वीं बैठक की मद संख्या 544.02 के तहत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी कार्यसूची में निहित नियमों व शर्तों के अनुसार तथा मद संख्या 546.11 के तहत दिनांक 4 जून, 2015

			को आयोजित 546 वीं बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार होगी।
--	--	--	---

(जे. प्रेम नवाज)

कार्यकारी निदेशक (एचआरएमए)

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. डीसीपी
3. डीएफ
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी
5. वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक
6. सभी कार्यकारी निदेशक/जीएम/आरसी/सीएस
7. जीएम(ओएल) - हिंदी संस्करण के लिए
8. डीजीएम(पीआर)
9. डीएम (आईटी) - इंटरनेट पर डालने के लिए

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)
7-ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

सं.एफ.11(181)/ 2014-एचआर

दिनांक: 3 जुलाई , 2017

दिनांक 22-01-2013 के कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 का संशोधन संख्या 9

हडको निदेशक मंडल ने 30 मई, 2017 को आयोजित अपनी 581वीं बैठक में मद सं. 581.09 के तहत 9 मार्च, 2015 के कार्यालय आदेश संख्या 1606 के तहत संसूचित शक्तियों के प्रत्यायोजन/उप-प्रत्यायोजन के अतिरिक्त नीचे दी गई मदों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों के अंतर्गत शक्तियों के आगे प्रत्यायोजन/उप-प्रत्यायोजन को मंजूरी दी है :

दिनांक 09-03-2015 के कार्यालय आदेश संख्या 1606 अनुसार पूर्व प्रत्यायोजन			
क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्रत्यायोजन	टिप्पणी
4.	परियोजना में संशोधन/संशोधन	निदेशक मंडल	बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश पर।
5.	वैधता का विस्तार	निदेशक मंडल	बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश पर।

बोर्ड की 581वीं बैठक के अनुसार संशोधित उप-प्रत्यायोजन (मद संख्या 581.09)				
क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्रत्यायोजन	उप-प्रत्यायोजन	टिप्पणी
4.	परियोजना घटकों में परिवर्तन, परियोजना लागत में परिवर्तन और साइट/स्थान में परिवर्तन सहित परियोजना में संशोधन/संशोधन।	बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल।	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	स्वीकृत सीएसआर सहायता के अंतर्गत, वित्त विंग के प्रमुख (एलसी), मुख्यालय की वित्तीय सहमति से, संबंधित आरसी की अनुशंसा पर,
5.	वैधता का विस्तार जिसमें प्रस्तुत करने के लिए समय का विस्तार भी शामिल है	निदेशक मंडल सिफारिश बोर्ड की सीएसआर	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	स्वीकृत सीएसआर सहायता के अंतर्गत, संबंधित आरसी की सिफारिश पर और

	उपयोगिता प्रमाण पत्र और परियोजना का पूरा होना।	समिति की बैठक।	एजेंसी के अनुरोध पर।
--	--	----------------	----------------------

यह दिनांक 9 मार्च, 2015 के कार्यालय आदेश संख्या 1606 का स्थान लेगा ।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जे. प्रेम नवाज)

कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)

प्रतिलिपि:-

1. सीएमडी के ईएस
2. डीसीपी के एजीएम (एस)
3. डीएफ के एजीएम (एस)
4. सीवीओ के एजीएम (एस)
5. वरिष्ठ ईडी(सीएंडएच/आरई)/वरिष्ठ ईडी(सीआईएंडएससी/सीपी)
6. सभी कार्यकारी निदेशक/जीएम/आरसी/सीएस
7. जेजीएम (ओएल) - हिंदी अनुवाद के लिए
8. डीएम (आईटी) - इंटरनेट पर डालने के लिए
9. कार्यालय आदेश फाइल

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)
7-ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

सं.एफ.11(181)/2014 -एचआर

दिनांक: 22 दिसंबर , 2017

दिनांक 22-01-2013 के कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 का संशोधन संख्या 10

हडको के निदेशक मंडल ने दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 को आयोजित अपनी 587वीं बैठक में मद सं.587.05 के तहत "सरकारी एजेंसियों के मामले में नियमित बकाया राशि के भुगतान में देरी/कम वसूली/ओटीएस/डीआरपी राशि की वसूली में देरी के कारण ब्याज देय राशि की बकाया राशि की छूट" के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन को मंजूरी दी है।

तदनुसार, दिनांक 22 जनवरी, 2013 के कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 के अध्याय-XI - "आकस्मिकता और विविध" के अंतर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 दिनांक 22-01-2013 के अनुसार पूर्व प्रत्यायोजन			
क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्रत्यायोजन	टिप्पणी
11.8	नियमित बकाया राशि के भुगतान में देरी/अल्प वसूली/ओटीएस/डीआरपी राशि की वसूली में देरी के कारण बकाया ब्याज की डिफॉल्ट राशि में छूट, सरकारी एजेंसियों के मामले में 50,000/- रुपये तक की वित्तीय निहितार्थ और डीएमआरसी की सिफारिश के आधार पर सीएमडी को 1,00,000/- रुपये तक की छूट।	सीएमडी - 1,00,000/-रुपए तक डीएफ - 50,000/- रुपए तक	डीएमआरसी की सिफारिश पर।
बोर्ड की 587वीं बैठक के अनुसार संशोधित प्रत्यायोजन (मद संख्या 587.05)			

11.8	सरकारी एजेंसियों के मामले में नियमित बकाया राशि के भुगतान में देरी/कम वसूली/ओटीएस/डीआरपी राशि की वसूली में देरी के कारण ब्याज देय राशि की बकाया राशि की छूट।	सीएमडी - 2,00,000/- रुपए तक डीएफ - 1,00,000/-रुपए तक	क्षेत्रीय प्रमुख/कार्यकारी निदेशक, संबंधित एसबीयू प्रमुख और कार्यकारी निदेशक (डिफॉल्ट्स) वाले उप-समूह की सिफारिश से।
		एसबीयू प्रमुख - 50,000/- रुपए तक	क्षेत्रीय प्रमुख/कार्यकारी निदेशक और कार्यकारी निदेशक (डिफॉल्ट) वाले उप-समूह की सिफारिश से।
		आर.सी. - 25,000/- रुपये तक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में वित्त, विधि एवं परियोजना विषयों के वरिष्ठतम अधिकारियों के उप-समूह की सिफारिश से। क्षेत्रीय कार्यालय को ऐसे ब्याज चूक की छूट के सभी मामलों की सूचना चूक शाखा, मुख्यालय को देनी होगी तथा उस पर समेकित रिपोर्ट चूक शाखा/ऋण लेखा शाखा द्वारा तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाएगी, जबकि चूक/एनपीए की स्थिति की सूचना एनपीए की समीक्षा के लिए समिति तथा सूचना हेतु बोर्ड को दी जाएगी।

क्र.सं.	शक्ति की प्रकृति	प्रत्यायोजन	टिप्पणी
			चूक की सूचना डिफॉल्ट विंग, मुख्यालय को भेजी जाए तथा उस पर समेकित रिपोर्ट डिफॉल्ट विंग/ऋण लेखा विंग द्वारा तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाए, जिसमें चूककर्ता की स्थिति की सूचना दी जाए। एनपीए की समीक्षा हेतु एनपीए को समिति तथा सूचनार्थ बोर्ड को भेजा जाएगा।

क्षेत्रीय कार्यालय को छूट के ऐसे सभी मामलों की गुण-दोष के आधार पर जांच करनी चाहिए तथा प्रत्येक मामले में समुचित तत्परता और वित्तीय विवेक सुनिश्चित करना चाहिए।

उपर्युक्त प्रत्यायोजन उन बकायों की छूट के लिए है जो छूट की तिथि तक बकाया हैं।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जे. प्रेम नवाज)
कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)

प्रतिलिपि:-

1. सीएमडी के ईएस
2. डीसीपी के एजीएम (एस)
3. डीएफ के एजीएम (एस)
4. सीवीओ के एजीएम (एस)
5. वरिष्ठ ईडी(सीएंडएच/आरई)/वरिष्ठ ईडी(सीआईएंडएससी/सीपी/टी/एचआर)
6. सभी कार्यकारी निदेशक/जीएम/आरसी/सीएस
7. जेजीएम (ओएल) - हिंदी अनुवाद के लिए
8. डीएम (आईटी) - इंटरनेट पर डालने के लिए
9. कार्यालय आदेश फ़ाइल

क्रमांक.एफ.10(10)/2022-23/एचआर

दिनांक: 13 अक्टूबर, 2023

कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 का संशोधन संख्या 11

विषय: सीएसआर गतिविधियों के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन/उप प्रत्यायोजन।

1. हडको के निदेशक मंडल ने दिनांक 26.02.2015 को आयोजित अपनी 539वीं बैठक में मद संख्या 539.05 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत शक्तियों के प्रत्यायोजन/उप-प्रत्यायोजन को मंजूरी दी थी और तत्पश्चात 09 मार्च 2015 को कार्यालय आदेश संख्या 1606 जारी किया गया था।
2. हडको के निदेशक मंडल ने दिनांक 30.05.2017 को आयोजित अपनी 581वीं बैठक में मद संख्या 581.09 के तहत परियोजना में संशोधन/संशोधन तथा वैधता विस्तार आदि के संबंध में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों के अंतर्गत शक्तियों के आगे के प्रत्यायोजन/उप-प्रत्यायोजन को वित्त विंग के प्रमुख (एलसी) की वित्तीय सहमति से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को मंजूरी दी थी और इसे दिनांक 22.01.2013 के कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 के संशोधन संख्या 9 के तहत दिनांक 3 जुलाई 2017 को जारी किया गया था।
3. हडको के निदेशक मंडल ने दिनांक 04.08.2023 को आयोजित अपनी 656वीं बैठक में मद संख्या 656.11 के तहत 'परियोजना घटकों में परिवर्तन, परियोजना लागत में परिवर्तन और साइट/स्थान में परिवर्तन सहित परियोजना में संशोधन/संशोधन' से संबंधित शक्तियों में संशोधन किया है (कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 दिनांक 22.01.2013 के संशोधन संख्या 9 के तहत 3 जुलाई को संसूचित) जिसमें स्वीकृत सीएसआर सहायता को बंद करना और उसमें कटौती करना भी शामिल है, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है;

क्रमांक	शक्ति की संशोधित प्रकृति	शक्ति की मौजूदा प्रकृति	संशोधित उप-प्रत्यायोजन	टिप्पणी

1	परियोजना घटकों में परिवर्तन, परियोजना लागत में परिवर्तन और साइट/स्थान में परिवर्तन तथा स्वीकृत सीएसआर सहायता में कटौती सहित परियोजना में संशोधन/समापन/संशोधन	परियोजना घटकों में परिवर्तन, परियोजना लागत में परिवर्तन और साइट/स्थान में परिवर्तन सहित परियोजना में संशोधन/संशोधन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (पूर्ण शक्तियां)	स्वीकृत सीएसआर सहायता के अंतर्गत, संबंधित आरसी और सीएसआर विंग के प्रमुख की सिफारिश पर, वित्त विंग के प्रमुख (एलसी), प्रधान कार्यालय की वित्तीय सहमति से।
---	--	--	--	--

4. 'कंपनी सीएसआर संशोधन नियम 2021' के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हडको के निदेशक मंडल ने दिनांक 04.08.2023 को आयोजित अपनी 656वीं बैठक में मद संख्या 656.11 के तहत शक्तियों के आगे के प्रत्यायोजन को भी मंजूरी दी है, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है;

क्रमांक	शक्ति की संशोधित प्रकृति	संशोधित उप-प्रत्यायोजन	टिप्पणी
1.	परियोजना की अवधि को एक वर्ष से अधिक के लिए बढ़ाया जाना, जिसे शुरू में बहुवर्षीय परियोजना के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था, ताकि इन प्रस्तावों को उस वित्तीय वर्ष की 'चालू परियोजनाओं' में शामिल करने के लिए उचित औचित्य पर आधारित किया जा सके।	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (पूर्ण शक्तियां)	स्वीकृत सीएसआर सहायता के अंतर्गत, संबंधित आरसी, सीएसआर विंग के प्रमुख की सिफारिश पर और उचित औचित्य के साथ एजेंसी के अनुरोध पर और वित्त विंग (एलसी), प्रधान कार्यालय के प्रमुख की वित्तीय सहमति से, स्वीकृति पत्र एवं समझौते के

			संपन्न हो जाने के बाद और जिस वित्तीय वर्ष में इसे मंजूरी दी गई थी, उसकी समाप्ति से पहले
2.	अव्ययित शेष राशि को उस वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा खोले जाने वाले विशेष खाते में अंतरित करना, जिसे अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता कहा जाएगा।	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (पूर्ण शक्तियां)	सीएसआर विंग के प्रमुख की सिफारिश पर, वित्त विंग के प्रमुख (एलसी), प्रधान कार्यालय की वित्तीय सहमति से, किसी भी अनुसूचित बैंक में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर । बाद में बोर्ड की सीएसआर समिति को सूचित किया जाएगा।
3.	निम्नलिखित से संबंधित अप्रयुक्त सीएसआर राशि का अंतरण- क. 'चल रही परियोजनाओं और 'अव्ययित सीएसआर बजट' के अलावा' ख. बंद/कटौती के कारण तथा तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने के बाद कंपनी द्वारा खोले गए विशेष खाते से चल रही किसी भी परियोजना कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII (#) में निर्दिष्ट निधि के लिए	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (पूर्ण शक्तियां)	सीएसआर विंग के प्रमुख की सिफारिश पर, वित्त विंग (एलसी) के प्रमुख की वित्तीय सहमति के साथ, प्रधान कार्यालय। बाद में बोर्ड की सीएसआर समिति को सूचित किया जाएगा।
4.	'चालू परियोजना के अलावा' और 'चल रही परियोजनाओं' से संबंधित 'अव्ययित सीएसआर राशि' के	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की सिफारिश पर, मुख्य कार्यालय के वित्त विंग के

	हस्तांतरण के लिए कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए, जिसमें सीएसआर सहायता जारी होने के बाद संबंधित एजेंसियों ने सीएसआर संशोधित नियम 2021 में हडको को दंडात्मक प्रावधानों से बचने के लिए अप्रयुक्त सीएसआर सहायता के हस्तांतरण की नियत अवधि से पहले न तो उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और न ही अप्रयुक्त सीएसआर सहायता वापस की।	(पूर्ण शक्तियां)	प्रमुख (एलसी) की वित्तीय सहमति के साथ सीएसआर विंग के प्रमुख को इस शर्त के अधीन कि ऐसी राशि को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एजेंसी से जल्द से जल्द वसूल किया जाना चाहिए और बोर्ड की सीएसआर समिति और निदेशक मंडल को सूचित किया जाना चाहिए।
--	--	------------------	---

(#) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-VII में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) या अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास तथा राहत एवं कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में अंशदान का उल्लेख है;

यह कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 दिनांक 22.01.2013 के पूर्ववर्ती संशोधन संख्या 9 दिनांक 3 जुलाई 2017 के क्रम संख्या 04 को ऊपर वर्णित सीमा तक अधिक्रमित करता है।

(वंदना मोत्सरा)

कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)

प्रतिलिपि :

1. सीएमडीओ के जेजीएम(पी)
2. डीसीपी के एजीएम(एस)
3. डीएफ के एजीएम(एस)
4. सीवीडी के जीएम(एल)
5. सीएस
6. सभी ईडी/जीएम/आरसी
7. ईडी (रा.भा.) - हिंदी अनुवाद के लिए
8. एसएम (आईटी), आईटी विंग - इंटरनेट पर डालने के लिए
9. एम (आईटी), एचआर विंग - रिकॉर्ड अद्यतन करने के लिए
10. कार्यालय आदेश फ़ाइल

हडको भवन, कोर 7-ए, आईएचसी, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

क्रमांक:एफ.11(81) /2014-एचआर

दिनांक: 22 दिसंबर, 2024

कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 दिनांक 22-01-2013 का संशोधन संख्या 12

विषय: सीएमडी, हडको की शक्तियों के प्रत्यायोजन में (i) परामर्शदाताओं के पारिश्रमिक में संशोधन; और (ii) निश्चित अवधि के आधार पर जनशक्ति की नियुक्ति के संबंध में संशोधन।

हडको बोर्ड ने 8 दिसंबर, 2023 को आयोजित अपनी 660वीं बैठक में "परामर्शदाताओं के पारिश्रमिक में संशोधन" से संबंधित मद संख्या 660.12 के तहत सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया था:

“क. सरकार/सीपीएसई/राज्य पीएसई आदि से सेवानिवृत्त परामर्शदाताओं को अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% पारिश्रमिक दिया जाएगा;

ख. खुले बाजार से नियुक्त परामर्शदाताओं का पारिश्रमिक बढ़ाया जाए और उसे 30,000 रुपये से 75,000 रुपये के बीच निर्धारित किया जाए, जैसा कि एजेंडा नोट में विस्तृत उल्लेख किया गया है;

ग. उपरोक्त निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त, परामर्शदाताओं (सेवानिवृत्त और खुले बाजार से) को वाहन भत्ता के रूप में 5,000/- रुपये और एक दिन की मासिक छुट्टी भी दी जाएगी, साथ ही यदि परामर्शदाता को यात्रा करने की आवश्यकता होती है तो हडको नियमों के अनुसार ई-1 स्तर के अधिकारी के समान टीए/डीए की अनुमति भी दी जाएगी; और

(घ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को आवश्यकता के आधार पर परामर्शदाताओं की नियुक्ति का निर्णय लेने और उसे अनुमोदित करने का भी अधिकार है तथा उन्हें उपरोक्त प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए पूर्ण शक्तियां दी गई हैं।

इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 22-01-2013 के कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 (संशोधन संख्या 8 दिनांक 12-06-2015) के अध्याय VI के क्रम संख्या 6.101 में निहित सीएमडी, हडको का मौजूदा प्रत्यायोजन संशोधित हो गया है और यह निम्नानुसार होगा: -

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
6.101	सलाहकारों की नियुक्ति	सीएमडी - 2 वर्ष तक पूर्ण शक्तियां	पारिश्रमिक:- क. सरकार/सीपीएसई/राज्य पीएसई आदि से सेवानिवृत्त परामर्शदाताओं को पारिश्रमिक अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 50% होगा; ख. खुले बाजार से नियुक्त परामर्शदाताओं का पारिश्रमिक 30,000 रुपये से 75,000 रुपये के बीच होगा; ग. उपरोक्त निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त परामर्शदाताओं (सेवानिवृत्त और खुले बाजार से) को वाहन भत्ता के रूप में 5,000/- रुपये और एक दिन की छुट्टी प्रतिमाह भी देय होगी, साथ ही यदि परामर्शदाता को यात्रा करने की आवश्यकता होती है तो हडको नियमों के अनुसार ई-1 स्तर के अधिकारी के समान टीए/डीए भी दिया जाएगा; तथा (घ) आवश्यकता के आधार पर परामर्शदाताओं की नियुक्ति का निर्णय एवं अनुमोदन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाएगा तथा उपरोक्त प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उनके पास पूर्ण शक्तियां होंगी। पारिश्रमिक 20,000/- रु. से 50,000/- रु. के बीच होगा तथा यह क्रम संख्या 6.100 पर शक्तियों के प्रत्यायोजन के कॉलम 4 में निर्धारित मौजूदा मानदंडों के अनुसार अंतिम आहरित वेतन आदि के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। परामर्शदाताओं की नियुक्ति दिनांक 13 अप्रैल, 2015 को आयोजित 544वीं बैठक की मद संख्या 544.02 के

			अनुसार बोर्ड के समक्ष रखे गए एजेंडे में निहित नियमों व शर्तों तथा दिनांक 4 जून, 2015 को आयोजित 546 वीं बैठक में मद संख्या 546.11 के तहत अनुमोदन के अनुसार होगी।
--	--	--	---

इसके अलावा, हडको बोर्ड ने “निश्चित अवधि के आधार पर जनशक्ति की नियुक्ति के लिए नीति” से संबंधित अपनी 660वीं बैठक में मद संख्या 660.19 के तहत सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया था:

“संकल्प लिया गया कि हडको में विशिष्ट क्षेत्रों/विषयों के लिए अधिकतम चार वर्ष की अवधि तक निश्चित अवधि के आधार पर जनशक्ति की नियुक्ति के प्रस्ताव को बोर्ड का अनुमोदन प्रदान किया जाए और इसके साथ ही समय की बचत के लिए अन्य आवश्यक कार्यात्मक क्षमताओं के साथ-साथ पात्र ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को संभालने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर की खरीद की संभावना का भी पता लगाया जाए।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि निश्चित अवधि के आधार पर जनशक्ति की नियुक्ति, नियुक्ति की विधि, पदनाम, अनुभव, शैक्षिक योग्यता, पारिश्रमिक, आयु सीमा आदि को कवर करने वाले व्यापक नियमों और शर्तों के अनुसार शासित होगी, जिसका विवरण एजेंडा नोट में दिया गया है, तथा इसे एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को निश्चित अवधि के आधार पर जनशक्ति की नियुक्ति के लिए एक विस्तृत नीति अधिसूचित करने तथा संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार नीति को क्रियान्वित करने और बाद में बोर्ड को सूचित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

तदनुसार, स्थापना और प्रशासन से संबंधित दिनांक 22-01-2013 के कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 के अध्याय VI के अंतर्गत सीएमडी की शक्तियों के मौजूदा प्रत्यायोजन में निम्नलिखित प्रत्यायोजन जोड़कर संशोधन किया जाता है:

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
6.102	हडको में विशिष्ट क्षेत्रों/विषयों के लिए निश्चित अवधि के आधार पर जनशक्ति की नियुक्ति	सीएमडी - अधिकतम चार वर्ष की अवधि तक पूर्ण शक्तियां।	निश्चित अवधि के आधार पर जनशक्ति की नियुक्ति व्यापक नियमों और शर्तों के अनुसार की जाएगी, जिसमें नियुक्ति का तरीका, पदनाम, अनुभव, शैक्षिक योग्यता, पारिश्रमिक, आयु सीमा आदि का विवरण एजेंडा नोट में दिया गया है। सीएमडी को निश्चित अवधि के आधार पर जनशक्ति की नियुक्ति के लिए विस्तृत नीति अधिसूचित करने तथा संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार नीति को क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(वंदना मोत्सरा)

कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)

प्रतिलिपि:

1. सीएमडीओ के जेजीएम(पी)
2. डीसीपी के एजीएम(एस)
3. डीएफ के एजीएम(एस)
4. सीवीडी के जीएम(एल)
5. सीएस
6. सभी ईडी/जीएम/आरसी
7. ईडी (रा.भा.) - हिंदी अनुवाद के लिए
8. एसएम (आईटी), आईटी विंग - इंटरनेट पर डालने के लिए
9. एम (आईटी), एचआर विंग - रिकॉर्ड अद्यतन करने के लिए
10. कार्यालय आदेश फ़ाइल

कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 दिनांक 22-01-2013 का संशोधन संख्या 13

विषय: 'नामांकन के आधार' पर सीपीडब्ल्यूडी को कार्य सौंपने के लिए सीएमडी की शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन।

हडको के निदेशक मंडल ने दिनांक 20 मार्च, 2024 को आयोजित अपनी 664वीं बैठक में मद संख्या 664.2.10 के तहत 'नामांकन के आधार पर' सीपीडब्ल्यूडी को कार्य सौंपने के लिए सीएमडी की शक्तियों के प्रत्यायोजन के संशोधन से संबंधित निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया है:

“संकल्प लिया गया कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सीपीडब्ल्यूडी या किसी अन्य लोक निर्माण संगठन, राज्य पीडब्ल्यूडी, एमईएस, बीआरओ आदि के माध्यम से कार्यो को करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन देने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसा कि जीएफआर 2017 के नियम 433 के उप-नियम 2 में नामांकन के आधार पर परिभाषित किया गया है या सीपीडब्ल्यूडी के अलावा अन्य एजेंसियों के माध्यम से या जीएफआर 2017 के नियम 133 के उप-नियम 2 में परिभाषित किया गया है, मौद्रिक सीमा (मौजूदा सीमा से अधिक) पर ध्यान दिए बिना और कार्य सौंपने की अंतिम सिफारिश को अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।”

तदनुसार, दिनांक 22 जनवरी, 2013 के कार्यालय आदेश संख्या 1248/2013 के अध्याय-V: 'कार्य, निपटान और रखरखाव व्यय' में निम्नलिखित नया खंड जोड़कर संशोधन किया गया है:

क्र.सं.	शक्तियों की प्रकृति	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
5.32	जीएफआर 2017 के नियम 433 के उपनियम 2 में यथापरिभाषित सीपीडब्ल्यूडी या किसी अन्य लोक निर्माण संगठन, राज्य पीडब्ल्यूडी, एमईएस,	सीएमडी - पूर्ण शक्तियां	---

	बीआरओ आदि के माध्यम से नामांकन के आधार पर या सीपीडब्ल्यूडी के अलावा अन्य एजेंसियों के माध्यम से या जीएफआर 2017 के नियम 133 के उपनियम 2 में यथा परिभाषित, मौद्रिक सीमा (मौजूदा सीमा से अधिक) पर ध्यान दिए बिना कार्यों को करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करना और कार्य सौंपने की अंतिम सिफारिश को अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।		
--	--	--	--

(वंदना मोत्सरा)

कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)

प्रतिलिपि :

1. सीएमडी के डीजीएम (एस)
2. डीसीपी के एजीएम(एस)
3. डीएफ के एजीएम(एस)
4. सीवीओ के एसएम (एस) स
5. ईडी (पीडी एंड एस)
6. सभी ईडी/जीएम/आरसी/सीएस/सीएफओ/सीसीओ
7. एसएम (आईटी), आईटी विंग - इंटरनेट पर डालने के लिए
8. कार्यालय आदेश फ़ाइल